ISSN 2394-8485

मासिक

गुरमत ज्ञान

३/-

सावन-भादों संवत् नानकशाही ५५५ अगस्त 2023 वर्ष १६ अंक १२

तख़्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो, बठिंडा

धार्मिक परीक्षा — दाखिला सूचना

धर्म प्रचार कमेटी (शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी), श्री अमृतसर साहिब की तरफ से पूरे भारत के स्कूलों/ कॉलेजों के विद्यार्थियों की नवंबर २०२३ में ली जाने वाली धार्मिक परीक्षा के दाख़िले शुरू हो चुके हैं। दाख़िला फार्म भेजने की आखिरी तारीख़ ३१ अगस्त, २०२३ है। समूह प्रिंसिपल और धार्मिक अध्यापक साहिबान से अपील की जाती है कि वे अपने स्कूल/ कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रेरित कर धार्मिक परीक्षा में शामिल करवाएं! दाख़िला फार्म और सिलेबस शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वेबसाईट **www.sgpc.net** से डाउनलोड या धार्मिक परीक्षा विभाग, धर्म प्रचार कमेटी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्री अमृतसर साहिब से प्राप्त किये जा सकते हैं।

धार्मिक परीक्षा में दर्जा प्रथम के लिए छठी से आठवीं कक्षा, दर्जा द्वितीय के लिए नौवीं से बारहवीं कक्षा, दर्जा तृतीय के लिए ग्रेजुएशन और दर्जा चतुर्थ के लिए पोस्ट-ग्रेजुएशन में रेगुलर विद्या प्राप्त कर रहे विद्यार्थी ही भाग ले सकते हैं। धार्मिक परीक्षा में से ३३% अंक लेकर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट, ६०% से लेकर ६९. ९% तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेडल, ७०% तथा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दर्जा-क्रमशः ११००/-, २१००/-, ३१००/- और ४१००/- रुपए वज़ीफ़ा दिया जाता है। चारों दर्जों के विद्यार्थियों में से मेरिट में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को वज़ीफ़े के अलावा क्रमशः ५१००/-, ४१००/-, ३१००/- रुपए विशेष इनाम और सम्मान-पत्र देकर सम्मानित किया जाता है।

धार्मिक परीक्षा की दर्जेवार प्रति विद्यार्थी दाख़िला फीस ५/-, १०/-, १५/- और २०-/ रुपए निर्धारित की गई है। अन्य जानकारी के लिए **0183-2553956-59** के एक्स्टेन्शन नंबर **305** पर संपर्क किया जा सकता है।

नोट :- विद्यार्थियों को सिलेबस से संबंधित पुस्तकें (गुरमति ज्ञान) स्कूल/ कॉलेज के प्रिंसिपल की तस्दीक पर आधी कीमत पर दी जाएंगी।

ISSN 2394-8485

ੴ सतिगुर प्रसादि ॥

गुर गिआन अंजनु सचु नेत्री पाइआ ॥
अंतरि चानणु अगिआनु अंधेरु गवाइआ ॥

मासिक

गुरमत ज्ञान

सावन-भादों , संवत् नानकशाही 555
वर्ष 16 अंक 12 अगस्त 2023

संपादक : सतविंदर सिंह
सहायक संपादक : जगजीत सिंह

चंदा	
सालाना (देश)	10 रुपये
आजीवन (देश)	100 रुपये
सालाना (विदेश)	250 रुपये
प्रति कापी	3 रुपये

चंदा भेजने का पता
सचिव, धर्म प्रचार कमेटी
(शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी)
श्री अमृतसर साहिब -143006
फोन : 0183-2553956-60
एक्सटेंशन नंबर
वितरण विभाग 303 संपादन विभाग 304
फैक्स : 0183-2553919
e-mail : gyan_gurmat@yahoo.com
website : www.sgpc.net

विषय-सूची

गुरबाणी विचार 4
संपादकीय 5
छाइ जाती एकता . . . 7
- सतविंदर सिंह फूलपुर
भाई गुरदास जी 10
-डॉ. राजेंद्र सिंह साहिल
मोर्चा गुरुद्वारा गुरु का बाग की विजय-गाथा 13
-डॉ. कशमीर सिंघ 'नूर'
ढाडिओं का सरदार : ज्ञानी सोहण सिंघ सीतल 16
-ज्ञानी बलवंत सिंघ कोठा गुरू
सेलुलर जेल अंडमान : पंजाब के स्वतंत्रता संग्रामी-१ 20
-डॉ. परमवीर सिंघ
काटि सिलक प्रभि सेवा लाइआ : भगत पूरन सिंघ 36
-डॉ. सत्येन्द्र पाल सिंघ
झिमि झिमि वरसै अंम्रित धारा॥ 41
-डॉ. मनजीत कौर
माइआ मोहु सभु दुखु है 44
-डॉ. परमजीत कौर
सिक्ख कौम (कविता) 48
-श्रीमती ज्योति
खबरनामा 49

गुरबाणी विचार

भादुइ भरमि भुलाणीआ दूजै लगा हेतु ॥
लख सीगार बणाइआ कारजि नाही केतु ॥
जितु दिनि देह बिनससी तितु वेलै कहसनि प्रेतु ॥
पकड़ि चलाइनि दूत जम किसै न देनी भेतु ॥
छडि खड़ोते खिनै माहि जिन सिउ लगा हेतु ॥
हथ मरोड़ै तनु कपे सिआहहु होआ सेतु ॥
जेहा बीजै सो लुणै करमा संदड़ा खेतु ॥
नानक प्रभ सरणागती चरण बोहिथ प्रभ देतु ॥
से भादुइ नरकि न पाईअहि गुरु रखण वाला हेतु ॥७ ॥ *(पन्ना १३४)*

पंचम पातशाह श्री गुरु अरजन देव जी बारह माहा मांझ की इस पावन पउड़ी में भादों महीने के प्राकृतिक अथवा भूमंडलीय वातावरण के प्रसंग में प्रभु-नाम से बिछड़े मनुष्य-मात्र की विवशता की स्थिति एवं अमूल्य मानव जीवन को व्यर्थ गंवाने के रुझान को गलत बताते हुए इस जीवन रूपी अवसर में प्रभु-नाम का सहारा लेने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।

सतिगुरु जी फरमान करते हैं कि जैसे भादों के महीने में मनुष्य बहुत घबरा जाता है (क्योंकि गर्मी के मौसम में बरसात के कारण हवा में नमी ज्यादा हो जाने से हुंमस हो जाती है), वैसे ही प्रभु मालिक के अतिरिक्त अन्य सांसारिक पदार्थों से मोह-लगाव होने से घबरा जाना स्वाभाविक है। भादों के महीने में जैसे कोई स्त्री लाख शृंगार करे तब भी वह व्यर्थ ही जाता है, इसी प्रकार मनुष्य-मात्र द्वारा धारण की जाने वाली बाहरी सजावट किसी काम नहीं आती अर्थात् जीवन की सफलता अर्थपूर्ण कार्य करने में है।

मृत्यु का दृष्टांत देते हुए सतिगुरु जी कथन करते हैं कि जिस दिन यह शरीर खत्म हो गया तब तुझे प्रेत कहा या समझा जाएगा। यम के दूत तुझे लेकर चल पड़ेंगे और अन्य किसी को इसका पता नहीं चलने देंगे। जब शरीर में से प्राण निकल गये तब क्षण भर में तेरे परिवार वाले तुझे छोड़ देंगे, जिनसे तूने अत्यंत लगाव बना रखा है। तब तू हाथ मलेगा। तेरा शरीर कठिन स्थिति में होगा। घबराहट से तेरा रंग काले से सफेद हो जाएगा। जैसा कोई बोता है वैसा ही काटता है। यह मातलोक, यह धरती, यह जीवन कर्म किये जाने योग्य खेत ही तो है।

गुरु जी अंत में मार्ग बख्शिश करते हुए फरमान करते हैं कि जो मनुष्य प्रभु की शरण में आ जाते हैं प्रभु उनको नाम रूपी जहाज में बिठा लेते हैं। वे भादों महीने की नरक तुल्य स्थिति से गुरु के साथ स्थापित होने संबंध के कारण बच जाते हैं।

संपादकीय

देश की आज़ादी की राह थे : अकाली मोर्चे

भारत की आज़ादी में अस्सी प्रतिशत योगदान सिक्खों का रहा है। देश को आज़ाद कराने के लिए सिक्खों ने बड़ी तादाद में शहादत दी और अंग्रेज शासन के जुल्मों को झेला। आज़ादी की लड़ाई में सिक्ख शहीदों की संख्या इतनी ज्यादा है कि किसी एक आलेख में इसका जिक्र करना नामुमकिन है। सिक्खों ने देश-कौम की ख़ातिर जानें देकर घल्लूघारों, जंगों, मोर्चों और साकों की लंबी दास्तान को सृजित किया है

कुछ गैर-सिक्ख पृष्ठभूमि वाले गद्दारों के कारण सिक्ख द्वितीय अंग्रेज़-सिक्ख युद्ध हार गए। सिक्ख शासन अंग्रेज़ शासन में मिला लिया गया। अंग्रेज़ों ने सिक्ख शासन पर कब्ज़ा करते ही यह सोच लिया था कि सिक्खी के प्रचार-केंद्र गुरुद्वारा साहिबान के प्रबंध में दखल देकर इनको अपने अधीन रखना है। अपने शासन की मज़बूती के लिए गुरुद्वारा साहिबान का इस्तेमाल करना अंग्रेज़ सरकार की मुख्य नीति थी। अंग्रेज़ों ने महंतों के माध्यम से गुरुद्वारा साहिबान के अंदर ब्राह्मणी रीतियों, वर्ण-विभाजन, जात-पांत के भेदभाव और छुआ-छूत का प्रवेश करवा दिया, ताकि सिक्खों का विश्वास और भी कमज़ोर हो सके तथा इनकी शक्ति में गिरावट आ सके। दुराचारी महंतों ने गुरुद्वारा साहिबान को अपनी निजी जायदाद के रूप में और निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। सिक्ख अपने गुरुधामों की ऐसी दशा किसी कीमत पर भी बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। वे हर हाल में गुरुद्वारा साहिबान को संगती प्रबंध तले लाना चाहते थे।

सिक्खों ने अपने आप को स्थानीय अकाली जत्थों के रूप में संगठित कर शांतमयी आंदोलन को अपना हथियार बना लिया और गुरुद्वारा साहिबान के प्रबंध-सुधार के लिए मोर्चे लगाने शुरू कर दिए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्री अमृतसर के अस्तित्व में आने से सिक्खों की शक्ति मजबूत केंद्र का रूप धारण कर गई। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के फैसले समूचे सिक्ख पंथ के फैसले समझे जाने लगे तथा मोर्चों की सक्रियता और भी तेज़ हो गई। इस प्रकार सिक्खों ने असंख्य अत्याचार सहन कर गुरुद्वारा साहिबान का प्रबंध पंथक हाथों में लेने के लिए शहादत प्राप्त की और व्यभिचारी महंतों के कुकर्मों की मैल को अपने खून से धोकर मोर्चों की

सफलता का लासानी इतिहास सृजित किया ।

इन मोर्चों की कामयाबी ने न केवल गुरुद्वारा साहिबान को ही महंतों के कब्ज़े से आज़ाद करवाया बल्कि देश की आज़ादी के लिए नए राह बनाकर लोगों में धर्म और देश के लिए मर-मिटने का जज्बा भी पैदा किया। 'चाबियों का मोर्चा' की जीत पर बधाई देते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि यह देश की आज़ादी के लिए पहली निर्णायक लड़ाई की जीत है।

आज़ादी का आनंद लेने वाले भारतीय बहुसंख्यक वर्ग द्वारा सिक्खों की तरफ से भारत की आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों की कद्रदान होने की बजाय सिक्खों को उनके बुनियादी अधिकारों से ही वंचित रखा गया। आज़ादी के बाद सिक्खों को उनके बनते अधिकार देने तो दूर की बात उनके अनेक पूर्व साधनों और अधिकारों पर काबिज़ होकर, आज़ादी का शानदार इतिहास सृजित करने वाली इस कौम को सौतेलेपन का एहसास करवाया गया। देश के विभाजन के समय जो नुकसान सिक्ख कौम का हुआ उसकी चिंता न करते हुए भी सिक्खों ने भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए कई कुर्बानियां दीं, परंतु अफसोस कि सिक्खों को जराएम-पेशा कौम बताया गया। पंजाब से उसके बड़े उपजाऊ हिस्से छीन लिए गए। मौजूदा समय में पंजाब के दरियाई पानी भी छीन कर पंजाब को मारुस्थल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं।

यह हकीकत है कि इतिहास के जितने भी पन्ने पलटे जाएंगे, उन पर सिक्ख कौम की कुर्बानियों का ज़िक्र आएगा, परंतु आज भारत की नई पीढ़ी के मन में सिक्खों के प्रति ज़हर भरने की मंशा से कई स्कूलों के सिलेबस में आज़ादी के बाद पंजाब के हितों के लिए सिक्खों द्वारा किए गए संघर्ष को देशद्रोही गतिविधियां एवं संघर्ष करने वालों को आतंकवादी बताया जा रहा है। सिक्खों की बहादुरी की बात करने की जगह सिक्ख-विरोधी शक्तियों द्वारा ऐसा गुमराहकुन प्रचार बेहद शर्मनाक और निंदनीय घटनाक्रम है।

संपादकीय आलेख

छाइ जाती एकता, अनेकता बिलाइ जाती . . .

*– सतविंदर सिंघ फूलपुर**

परमात्मा ने सृष्टि बना कर कई तरीके से, अनेक रंगों और किस्मों की रचना की है। असंख्य प्रकार के जीव-जंतु, मानव, वनस्पतियां, फूल-फल आदि पैदा किये हैं। यह विभिन्नता ही प्रकृति की सुन्दरता है। एकसारता एकरूपता (सदृश) में मायूसी है। अनेकता (बहुरूपता, विभिन्नता, नानात्व) धरती का सौंदर्य है। मात्र जल, थल या पहाड़ ही हों तो मन में खिन्नता पैदा होती हैं। किसी गुलज़ार की ख़ूबसूरती उसमें खिले भाँति-भाँति के रंग-बिरंगे फूल हैं। इसी प्रकार किसी देश-समाज की ख़ूबसूरती उसमें बसते विभिन्न धर्मों, कौमों, भाषाओं, सभ्याचारों, रस्मों-रिवाज़ों के लोग हैं। यदि गुलज़ार का माली सभी फूलों पर एक ही रंग फेर कर उनकी अनेकता की पहचान को ख़त्म करने की कोशिश करे तो वह मूर्ख गिना जायेगा और यदि किसी बहुधर्मी, बहुसभ्याचारक देश का शासक देश में विभिन्न सभ्याचारों, रस्मों-रिवाज़ों की भिन्नता को ख़त्म कर उनमें एकरूपता, सादृश्यता लाने की कोशिश करे तो वह भी मूर्ख ही माना जायेगा। ख़ैर! कभी किसी गुलज़ार के माली ने तो ऐसा नहीं किया, परन्तु मानवीय अनेकता वाले संसार रूपी बाग़ में शासक रूपी माली ऐसी मूर्खता का प्रकटीकरण करते रहे हैं।

आज से चार सदियां पूर्व मुग़ल बादशाह जहाँगीर ने भारत देश में सभी के लिए शरीअत (इसलामी कानून) लागू कर मजहबी संकीर्णता का प्रकटीकरण किया था। औरंगजेब ने इस शरअ कानून को और मज़बूत किया। मदीना, बगदाद और भारत के पाँच सौ मुसलमान विद्वानों की निगरानी में 'फतवा-अल- आलमगीरी' पुस्तक तैयार करवाई, जिसे 'फ़तवा-ए-हिंदी' भी कहा जाता था। इस शरअ कानून के अंतर्गत पूरे देश में इसलाम धर्म के अनुसार एकरूपता लाने के लिए दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थान गिराए गए, उनके पूजा-पाठ, धार्मिक रीति-रिवाज, त्योहार, भाषा, भेस आदि पर पाबंदी लगाई गई। मुग़ल-काल में हिंद-वासियों की दूर्दशा के बारे में गुरु साहिबान का फरमान है :

— आदि पुरख कउ अलहु कहीऐ
सेखां आई वारी ॥
देवल देवतिआ करु लागा
ऐसी कीरति चाली ॥५ ॥
कूजा बांग निवाज मुसला नील रूप बनवारी ॥
घरि घरि मीआ सभनां जीआं बोली अवर तुमारी ॥
(पन्ना ११९१)

— अंतरि पूजा पड़हि कतेबा संजमु तुरका भाई ॥
(पन्ना ४७१)

**संपादक, गुरमति प्रकाश व गुरमति ज्ञान। फोन : ९९१४४-१९४८४*

— नील वसत्र पहिरि होवहि परवाणु ॥
मलेछ धानु ले पूजहि पुराणु ॥ (पन्ना ४७२)

गुरु साहिबान अनेकता में एकता के समर्थक थे। वे देश-संसार को ऐसे गुलज़ार के रूप में देखना चाहते थे जिसमें भाँति-भाँति के फूल खिलें और अपनी-अपनी ख़ुशबू बिखेरें अर्थात् अलग-अलग धर्मों, कौमों, सभ्याचारों के लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी हो।

श्री गुरु गोबिंद सिंघ जी का एक बहुत ही प्यारा शबद है, जिसमें वे अलग-अलग धर्मों, क्षेत्रों, सभ्याचारों की विभिन्नता को प्राकृतिक कानून के अनुसार मानते हैं :

पूरबी न पार पावैं हिंगुला हिमालै धिआवैं
गोर गरदेजी गुन गावैं तेरे नाम हैं ॥
जोगी जोग साधै पउन साधना कितेक बाधै
आरब के आरबी अराधैं तेरे नाम हैं ।
फरा के फिरंगी मानैं कंधारी कुरेसी जानैं
पछम के पच्छमी पछानैं निज काम हैं ॥
मरहटा मघेले तेरी मन सों तपसिआ करै
द्रिड़वै तिलंगी पहचानै धरम धाम हैं ॥२ ॥२५४॥
बंग के बंगाली फिरहंग के फिरंगावाली
दिली के दिलवाली तेरी आगिआ मै चलत हैं॥
रोह के रुहेले माघ देस के मघेले
बीर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत हैं ॥
गोखा गुन गावै चीन मचीन के सीस न्यावै
तिब्बती धिआइ दोख देह को दलत हैं ॥
जिनै तोहि धिआइओ तिनै पूरन प्रताप पाइओ
सरब धन धाम फल फूल सों फलत हैं ॥३ ॥२५५ ॥
(अकाल उसतत)

अर्थात् पूरबी (पूरब निवासी), हिंगुला (ईरान के एक इलाके 'मकरान' के निवासी), हिमालै (हिमालय के निवासी), गोर (मुलतान की एक जाति), गरदेजी (बगदादी), जोगी, आरबी (अरब निवासी), फरा के फिरंगी (फ्रांसीसी), कंधारी (कंधार के निवासी), कुरेसी (अरब की एक कुल), पच्छिमी, मरहटे, मघेले (मगध देश के निवासी), द्रिड़वै (द्राविड़ लोग), तिलंगी (तिलंग देश के निवासी), बंगाली, फिरहंग (यूरोप का एक देश) के फिरंगी, दिलवाली (दिल्ली के निवासी), रुहेले (उत्तर प्रदेश के एक इलाके 'रुहेलखंड' के निवासी), मघेले (मगध देश के निवासी), बुंदेले (मध्य भारत के इलाके 'बुन्देलखंड' के निवासी, बुन्देला जाति के राजपूत), गोखा (नेपाल निवासी गोरखे), चीन और मचीन (चीन के साथ लगता एक इलाका) के निवासी और तिब्बती आदि सभी एक अकाल पुरख की आज्ञा में चल रहे हैं, उसके गुण गाते हैं, आराधना करते हैं। जिन्होंने भी प्रभु का जाप किया है, उनके घर बरकत से भर गए हैं।

इस शबद में गुरु जी की कितनी विशालता झलकती है ! गुरु जी ने परमात्मा को जपने वालों का कितना विशाल नक्शा पेश किया है ! ऐसे विशाल हृदय वाले गुरु साहिबान धर्म में संकीर्णता को कैसे स्वीकार कर सकते थे? उक्त सभी के सभ्याचार, रस्मो-रिवाज़ अलग-अलग हैं। इन सबको एक जैसा कैसे किया जा सकता है? दिल्ली के दिलवाली (हाकिमों) को क्या अधिकार है कि वह अपने रसमो-रिवाज़ सभी पर थोपने का साहस करे?

औरंगजेब की एकीकरण की नीति के विरुद्ध धर्म की आज़ादी के लिए श्री गुरु तेग़ बहादर साहिब ने भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दिआला जी सहित शहादत दी। श्री गुरु गोबिंद सिंघ जी ने हक, सच, न्याय और धार्मिक आज़ादी की ख़ातिर ज़ालिम हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया।

भाई संतोख सिंघ जी लिखते हैं यदि श्री गुरु गोबिंद सिंघ जी इस संसार में प्रकट न होते तो देश में प्राकृतिक विभिन्नता ख़त्म हो जाती और इसलामिक एकता स्थापित हो जाती :

छाइ जाती एकता, अनेकता बिलाइ जाती,
होवती कुचीलता कतेबन कुरान की।
पाप ही प्रपक्क जाते, धरम धस्क जाते,
बरन गरक जाते, साहित बिधान की।
देवी देव देहुरे संतोख सिंघ दूर होते,
रीत मिट जाती कथा बेदन पुरान की।
स्री गुरू गोबिंद सिंघ पावन परम सूर,
मूरत न होती जउ पै करुणा निधान की।

साँई बुल्ले शाह लिखता है :
न कहों अब की, न कहों तब की,
बात कहूं मैं जब की।
अगर न होते गुरू गोबिंद सिंघ,
सुन्नत होती सब की।

यह गुरु साहिब की देन है कि उस समय देश में बाकी धर्मों का अस्तित्व बच सका। जिनके पुरखों ने देश की आज़ादी के लिए कभी उंगली तक नहीं कटाई, आज़ादी जैसे उनको थाली में परोस कर मिल गई, उन्होंने अब इतिहास को पलट देना शुरू कर दिया है। देश में सत्ता का आनंद ले रहे हाकिमों द्वारा हज़ारों वर्ष की ग़ुलामी का इतिहास भूल कर आज देश में यू. सी. सी. (यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड) अर्थात् 'समान नागरिक संहिता' अर्थात् 'एक देश एक कानून' लाकर देश में बसते विभिन्न धर्मों, कौमों के लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक पहचान ख़त्म कर सबको एक ही कतार में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। औरंगजेब ने तलवार के ज़ोर पर धर्म के एकीकरण की नीति अपनाई थी, परन्तु आज वही काम कानून की आड़ में किया जा रहा है। ये लोग अपने एक राष्ट्र के एजंडे के अंतर्गत पूरे देश में 'समान नागरिक संहिता' लागू कर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की रस्मों, परंपराओं के अनुसार बने अलग सिविल कानूनों को ख़त्म कर सभी के लिए एक ही कानून लागू कर अपनी 'शरअ' में जज़्ब करना चाहते हैं। ऐसा कानून भारत में बसते अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक ग़ुलामी का एहसास कराने वाला है।

आज़ादी के बाद सिक्खों एवं पंजाब के साथ हर पक्ष से पक्षपात हुआ है। सांस्कृतिक रस्मों के पक्ष से सिक्खों को पहले ही भारतीय संविधान में बुद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ हिंदू कानून के अंतर्गत रखा गया है। सिक्ख धर्म एक अलग धर्म है। यदि 'समान नागरिक संहिता' कानून लागू हो जाता है तो जहाँ बाकी अल्पसंख्यक धर्म के लोगों की सांस्कृतिक पहचान को ख़तरा होगा वहीं सिक्खों के लिए अलग 'सिक्ख पर्सनल लॉ' की माँग का रास्ता सदा के लिए बंद हो जायेगा।

भाई गुरदास जी

*-डॉ. राजेन्द्र सिंघ साहिल**

भाई गुरदास जी को गुरमति के मुख्य प्रचारक एवं प्रतिनिधि व्याख्याकार के रूप में प्रमुख एवं आदरणीय स्थान प्राप्त है। आपकी काव्य-रचनाएं गुरमति की ऐसी सही और सटीक व्याख्या प्रस्तुत करती हैं कि उन्हें स्वयं पंचम पातशाह श्री गुरु अरजन देव जी ने 'गुरबाणी की कुंजी' कह कर आदर प्रदान किया है।

जन्म एवं प्रारंभिक जीवन

भाई गुरदास जी का जन्म सम्वत् १६०८ विक्रमी अर्थात् सन् १५५१ ई० में श्री अमृतसर साहिब जिले के बासरके गांव में हुआ। आप तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी के चचेरे भ्राता भाई ईशर दास के सुपुत्र थे। आपका बचपन बासरके में ही बीता। जब आपकी अवस्था बारह वर्ष की हुई तो अचानक आपके माता-पिता का देहांत हो गया। ऐसी विकट परिस्थिति में भी आपने धीरज नहीं खोया और जीवन का सबसे मूल्यवान फ़ैसला लिया। आप गोइंदवाल साहिब आये और तीसरे पातशाह के चरणों में जा बिराजे। गुरु जी ने आपको गले से लगाया और आपकी शिक्षा का प्रबंध किया। भाई गुरदास जी ने यहाँ दत्तचित्त होकर शिक्षा ग्रहण की और अनेक भाषाओं के पारंगत बने।

धर्म-प्रचार की सेवा में सदैव तत्पर

बड़े होकर भाई गुरदास जी को धर्म-प्रचार की सेवा मिली। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी ने गुरमति-प्रचार हेतु आपको आगरा, लखनऊ और बनारस भेजा। आपने यह सेवा तनदेही के साथ निभाई। चतुर्थ पातशाह के ज्योति-जोत समाने के बाद आप पंचम पातशाह श्री गुरु अरजन देव जी की सेवा में श्री अमृतसर साहिब आ गये।

गुरु-घर की षड्यंत्रों से रक्षा

श्री अमृतसर साहिब में आपने बाबा बुड्ढा जी के साथ मिलकर गुरु-परिवार की कई षड्यंत्रों से रक्षा की। प्रिथीचंद ने पंचम गुरु जी का विरोध करते हुए सिक्ख संगत को गुरु-घर से विमुख करने का प्रयास किया तो आपने आगे रहकर सिक्ख संगत का सही नेतृत्व किया, उन्हें वस्तुस्थिति से परिचित कराया और प्रिथी चंद की सभी साज़िशों को नाकाम कर दिया।

दसवंध का आरंभ

गुरु-घर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपने 'दसवंध' (अर्थात् आय का दसवां हिस्सा लोक-कल्याणार्थ अर्पित करना) की प्रथा को स्थापित करने में भी विशेष

**१/३३८, स्वप्नलोक, दशमेश नगर, मंडी मुल्लांपुर दाखा, लुधियाना, फोन : ६२३९६-०१६४१*

भूमिका निभाई।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब की लेखन-सेवा

भाई गुरदास जी के जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य रहा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की मूल बीड़ का लेखन। पंचम पातशाह श्री गुरु अरजन देव जी ने आपसे लेखन की सेवा करवाई। गुरु जी ने श्री अमृतसर साहिब में गुरुद्वारा रामसर साहिब नामक स्थान पर बैठकर भाई गुरदास जी से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पहली बीड़ लिखवाई। यह महान कार्य सन् १६०४ ई. में सम्पन्न हुआ। तत्पश्चात् श्री हरिमंदर साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम प्रकाश किया गया।

श्री अकाल तख्त साहिब का निर्माण

पंचम पातशाह की शहादत के बाद भाई गुरदास जी ने स्वयं को छठम पातशाह श्री गुरु हरिगोबिंद साहिब की सेवा में अर्पित कर दिया। सन् १६०९ ई० में जब छठम पातशाह ने श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की तो भाई गुरदास जी ने बाबा बुड्ढा जी के साथ मिलकर इस कार्य में विशेष भूमिका निभाई ।

श्री अकाल तख्त साहिब के निर्माण से संबंधित सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि इसे छठम पातशाह ने अपने हाथों से तैयार किया, राज मिस्त्री वगैरह नहीं लगाये गये। गुरु जी स्वयं ईंटें लाते, भाई गुरदास जी गारा बनाकर लाते और बाबा बुड्ढा जी चिनाई करते जाते।

अन्य प्रबंधन-कार्य

इसके बाद छठम पातशाह श्री गुरु हरिगोबिंद साहिब ने भाई गुरदास जी को अन्य गुरु-स्थानों की उचित व्यवस्था करने की सेवा सौंपी। इस सेवा को आपने पूरी कुशलता के साथ जीवन के अंतिम वर्षों तक निभाया।

भाई गुरदास जी की काव्य-रचनाएं

भाई साहिब की समस्त काव्य-रचनाएं मुख्यत: तीन रूपों में प्राप्त होती हैं :-

१) पंजाबी भाषा में रचित ४० वारें, जिनमें गुरमति-सिद्धांतों का सूक्ष्म एवं सहज विश्लेषण है।

(२) संस्कृत भाषा में रचे गये छ: सलोक

(३) ब्रज भाषा में रचित कबित्त एवं सवैये।

भाई गुरदास जी को चार गुरु साहिबान की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए आपको गुरबाणी का गहरा अनुभव मिला और आपने अपना सारा जीवन गुरमति-आदर्शों के अनुरूप बिताया। यही कारण है कि आपकी रचना में गुरमति-सिद्धांत अत्यंत स्पष्ट एवं पूर्ण रूप में प्रकट हुए। इसी विशेषता के कारण आपकी काव्य-रचनाओं को 'गुरबाणी की कुंजी' और 'सिक्ख धर्म का सर्वोत्तम रहितनामा' समझा जाता है।

भाई साहिब की रचना पढ़ने-मात्र से गुरमति का महत्व एवं आदर्श सहज-स्वाभाविक रूप से मन में बस जाता है।

भाई गुरदास जी का गुरमति-सिद्धांतों की व्याख्या करने का ढंग बहुत सहज, सीधा और सरल है :

कलि आई कुते मुही
खाजु होइआ मुरदार गुसाई ।

राजे पापु कमांवदे
उलटी वाड़ खेत कउ खाई। (वार १:३०)

अर्थात् कलियुग आ गया है। लोग कुत्ते के मुँह वाले हो गये हैं। मुरदा उनका भोजन बन गया है। राजा पाप कमा रहे हैं, बाड़ ही पलट कर खेत को खा रही है।

वण वण विचि वणासपति
इको धरती इको पाणी ।
रंग बिरंगी फुल फल
साद सुगंध सनबंध विडाणी। (वार १७:५)

अर्थात् वन-वन में वनस्पति है, रंग-बिरंगे फूल-फल हैं। स्वाद, महक में सब भिन्न-भिन्न हैं, परंतु सभी एक ही धरती और एक ही पानी से उत्पन्न होते हैं।

देखि पराईआं चंगीआं
मावां भैणां धीआं जाणै ।
उसु सूअरु उसु गाइ है
पर धन हिंदू मुसलमाणै । (वार २९:११)

अर्थात् पराई स्त्रियों को माँ-बेटी-बहन मानना चाहिए और पराया धन मुसलमानों के लिए सूअर और हिंदू के लिए गाय के बराबर है।

भाई गुरदास जी न सिर्फ़ गूढ़ आध्यात्मिक, रहस्यवादी और सैद्धांतिक विषयों को बड़ी सरलता-सहजता से अभिव्यक्त करते हैं, बल्कि काव्य-कला का भी पूरा ध्यान रखते हैं। आपने रस, छंद, अलंकार, बिम्ब, प्रतीक आदि का प्रयोग अत्यंत निपुणता के साथ किया है।

उदाहरण के लिए यह कबित्त देखें, जिसमें गृहस्थ जीवन की महत्ता भी स्थापित की गई है और 'मालोपमा अलंकार' का अद्भुत प्रयोग भी किया गया है :

जैसे सरि सरिता सकल मै समुंद्र बडो
मेर मै सुमेर बडो जगतु बखान है।
तरवर बिखै जैसे चंदन बिरखु बडो
धातु मै कनिक अति उतम कै मानि है।
पंछीअन मै हंसु म्रिगराजन मै सारदूल
रागन मै सिरी रागु पारस पखान है।
गिआनन मै गिआन अरु धिआनन मै धिआन
गुर सकल धरम मै ग्रिहसतु प्रधान है ।।३७६ ।।

(कबित्त)

अर्थात् जैसे सर-सरिता में समुद्र, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में चंदन, धातुओं में सोना, पक्षियों में हंस, जंगली पशुओं में शेर, रागों में सिरीराग, पत्थरों में पारस, ज्ञान-ध्यान में गुरु सर्वोत्तम होता है, वैसे ही सभी धर्मों में गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ है।

छठम पातशाह की हजूरी में अकाल चलाणा

गुरु-घर के महान लिखारी, बहुभाषी विद्वान, महान प्रचारक और संवेदनशील कवि भाई गुरदास जी ने गुरु-घर की सेवा करते हुए सन् १६३७ ई० में गोइंदवाल साहिब में छठम पातशाह की हजूरी में अपनी सांसारिक यात्रा पूरी की। भाई साहिब की सरल भाषा में रची गई काव्योक्तियाँ सदैव गुरबाणी का आशय स्पष्ट करती रहेंगी।

मोर्चा गुरुद्वारा गुरु का बाग की विजय-गाथा

*-डॉ. कशमीर सिंघ 'नूर'**

सिक्ख समुदाय सदा से जीवन के हर क्षेत्र में अपने गुरु साहिबान से, गुरु-घरों से, गुरमति विचारधारा से प्रेरणा व आगवानी लेता रहा है। कोई भी व्यक्ति, बेशक वह शासक या प्रभावशाली नेता ही क्यों न हो, अगर वह गुरुओं के प्रति, गुरु-घरों (गुरुद्वारा साहिबान) के प्रति निंदनीय व घटिया विचार प्रकट करता है या गुरु-घरों पर कब्जा करना चाहता है, तो बुलंद हौसले वाले सिक्ख समुदाय ने हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया है, बुरी शक्तियों को हराया है।

सिक्ख इतिहास में संघर्षमयी सिक्ख-मोर्चों का वर्णन स्वर्णिम अक्षरों में मिलता है। 'चाबियों का मोर्चा', 'जैतो का मोर्चा' की भांति ही 'गुरुद्वारा गुरु का बाग का मोर्चा' का उल्लेख भी इतिहासकारों व लेखकों ने समय-समय पर किया है।

'गुरुद्वारा गुरु का बाग' का प्राचीन नाम 'गुरु की रौड़' था। इस ऐतिहासिक पवित्र स्थान को सिक्खों के पांचवे गुरु श्री गुरु अरजन देव जी तथा नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादर जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त है। श्री गुरु अरजन देव जी द्वारा इस जगह (जो निर्जन थी) पर ठहरने के कारण इसका नाम 'गुरु की रौड़' प्रचलित हुआ। 'रौड़' शब्द पंजाबी भाषा का ठेठ शब्द है। 'रौड़' का अर्थ होता है- बंजर (ऊसर) जमीन। यहां पर कल्लर होने के कारण कोई फसल नहीं उगाई जा सकती थी। निकटवर्ती गाँव सहिंसरा के इर्द-गिर्द का क्षेत्र बिलकुल बंजर था।

सन् १५८५ ई. में इस स्थान पर श्री गुरु अरजन देव जी पधारे। तब गुरु जी ने यहां रौड़ पर ठिकाना अर्थात् ठहराव किया।

जिथै जाइ बहै मेरा सतिगुरू सो थानु सुहावा राम राजे के महावाक के अनुसार जिस भूमि पर सच्चे पातशाह के चरण पड़ जाएं, वह भूमि आबाद व उपजाऊ हो जाया करती है। वह जमीन फसलों, फूलों, पेड़-पौधों से लहलहा उठती है। वहां बाग महकने लगते हैं। फिर बाद में नवम् पातशाह श्री गुरु तेग बहादर जी इस स्थान पर पधारे और यहां पर ठिकाना किया। 'गुरु की रौड़' की जगह पर उन्होंने आम का बाग लगवाया, जो कि उनकी कृपा से लहलहा उठा। फिर क्या था, इस पुनीत स्थान का नाम 'गुरु का बाग' प्रसिद्ध हो गया। लोगों ने 'गुरु की रौड़' कहना बंद कर दिया। लोगों में यह कथन भी प्रसिद्ध हो गया- ''जिहड़ा आखे गुरु की रौड़, ओहदा होवे झुग्गा चौड़! . . . जिहड़ा आखे गुरु का बाग! ओहनूं लग्ण दूणे भाग!''

ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार गुरु-घर के अनन्य सेवक भाई घुक्का ने निकट ही गांव घुक्केवाली बसाया था। इस गाँव में श्री गुरु तेग बहादर जी का आगमन हुआ था। गुरु जी ने यहां पर एक कुआं खुदवाया था, क्योंकि उस समय

**बी-एक्स ९२५, संतोखपुरा, हुशियारपुर रोड, जलंधर-१४४००४, फोन : ९८७२२-५४९९०*

पानी का संकट होना आम बात थी।

जैसे प्रकाश व अंधेरे का, सत्य व झूठ का आपस में विरोध होता है, ऐसे ही गुरु-घर तथा (तत्कालीन) शासकों की आपस में कभी न बन आई। सच्चे तख्त के साथ शासकों का शुरू से ही विरोध (टकराव) रहा है। गांव चमिआरी के मुस्लिम हाकिम ने इस गुरुद्वारा साहिब को तोड़ने पर ज़ोर लगाया, किंतु वह ज़ालिम कुछ न बिगाड़ सका। उसे मुंह की खानी पड़ी।

अपनी हुकूमत के दौरान शेरे-पंजाब महाराजा रणजीत सिंघ ने गुरुओं की याद में इस पवित्र स्थान पर एक सुंदर गुरुद्वारा साहिब का निर्माण किया और गुरुद्वारा साहिब के नाम पर जागीर लगवाई। यहां पर बाद में स. लहिणा सिंघ मजीठिया ने पक्के सरोवर की सेवा करवाई। गुरु-काल से ही गुरुद्वारा साहिबान का प्रबंध उदासी संप्रदाय के महापुरुष संभालते आ रहे थे। समय बीतने पर उनमें से कई सेवादारों के आचरण व व्यवहार में भारी त्रुटियां पैदा हो गईं। फिर फिरंगी सरकार की सियासी सरपरस्ती मिलने पर कुछ महंत बेहूदगियां करने लगे। गुरुद्वारा गुरु का बाग का प्रबंध भी महंत पैतृक परंपरा के अनुरूप संभालते आ रहे थे।

बीसवीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में निम्न कोटि के आचरण वाला आदमी महंत सुंदर दास इस गुरुद्वारा साहिब पर काबिज हो गया। उसे 'महंत' कहना 'महंत' शबद का अपमान था। सिक्ख संगत उसे गुरुद्वारा गुरु का बाग का प्रबंध अच्छी तरह से अर्थात् गुरु-मर्यादा के अनुसार करने को कहती रही, मगर अहंकारी व दुराचारी सुंदर दास अपनी मनमानियां करता रहा। सिक्ख संगत उससे गुरुद्वारा साहिब का प्रबंध वापस लेने की मांग करने लगी, लेकिन फिरंगी सरकार उसे पदच्युत कर गुरुद्वारा साहिब का प्रबंध सिक्खों को सौंपना नहीं चाहती थी। फिर तो सिक्खों का महंत एवं सरकार के साथ टकराव लाजमी हो गया था। इसी संदर्भ में 'मोर्चा गुरुद्वारा गुरु का बाग' जैसी घटना घटित हुई। अंग्रेज सरकार महंत सुंदर दास की पुश्तपनाही करती रही। उधर सिक्ख भी अपनी मांग पर दृढ़ता व निश्चय के साथ डटे रहे।

जब सिक्ख संगत ३१ जनवरी, सन् १९२० को जत्थेदार स. करतार सिंघ झब्बर के नेतृत्त्व में महंत सुंदर दास से प्रबंध लेने हेतु गांव घुक्केवाली पहुंच गई, तब उसने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सिक्खों से लिखित रूप में क्षमा-याचना कर ली और निम्नांकित शर्तें भी मान लीं :-

१. महंत गुरुद्वारा साहिब का प्रबंध गुरु-मर्यादा अनुसार करेगा।

२. वह अमृत-पान कर सिंघ सजेगा।

३. वह अपने पास रखी (अवैध) औरत के साथ अनंद कारज (विवाह) करेगा तथा किसी अन्य औरत के साथ अवैध संबंध नहीं रखेगा।

फरवरी १९२२ ई. में महंत के साथ हुए पुनर्स मझौते के अनुसार गुरुद्वारा गुरु का बाग का सारा प्रबंध सिक्ख संगत को सौंपने के एवज में वह १२० रुपए पेंशन तथा निवास हेतु श्री अमृतसर साहिब में मकान लेने को राजी हो गया।

उस चालबाज व फरेबी महंत ने फिर से अपनी महंतगिरी का शोर मचाना शुरू कर दिया। अगस्त, १९२२ ई. में पुलिस और महंत की मिलीभुगत ने अदालत द्वारा पांच सिंघों को लंगर हेतु गुरु-घर की मलकियत वाली जमीन में से

लकड़ियां काट लाने के दोष में छः-छः माह की कैद तथा पचास-पचास रूपए का जुर्माना करवा दिया। नतीजतन मोर्चा गुरुद्वारा गुरु का बाग शुरू हो गया। आरंभ में पांच-पांच सिंघों के जत्थे जाने लगे। तत्कालीन अधिकारी एस. जी. एस. बीटी जत्थे में आए हुए सिंघों पर उस समय तक कहर बरपाता जब तक वे बेहोश होकर ज़मीन पर न गिर पड़ते। पांच-पांच सिंघों के जत्थों के बाद सौ-सौ सिंघों के जत्थे श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष अरदास कर शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रकट करने हेतु जाने लगे।

स. जगजीत सिंघ गणेशपुर अपने एक आलेख में लिखते हैं कि काफी जुल्म सहन करने के बाद भी सिक्ख जत्थों के हौसले व संख्या में कोई कमी नहीं आई। इस घोर अत्याचार के समाचार देश-विदेश के समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने लगे। उस समय लाहौर से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी अखबार 'दि ट्रिब्यून' ने तो एक विशेष कॉलम (स्तंभ) 'गुरु के बाग का मामला' शुरू किया हुआ था, ताकि प्रतिदिन के घटनाक्रम की सूचना उसके पाठकों तक पहुंच सके। विदेशी अखबारों में 'मानचैस्टर गार्डियन', 'लंदन टाइम्ज', 'नेशनल हेराल्ड' आदि शामिल थे, जो इस घटनाक्रम की खबरें अपने विशेषांकों में प्रकाशित करते थे।

अमेरिका से आए ए. एल. वर्गाजि ने 'गुरुद्वारा गुरु का बाग में पुलिस का जब्रो-जुल्म' नामक फिल्म बनाई। जब यह फिल्म अमेरिका में प्रदार्शित की गई, तब दर्शकों के मन में सिक्खों के प्रति सहानुभूति की भावना पैदा होने लगी। पादरी सी. एफ. एंड्रयू ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को पुलिस की इस घिनौनी व क्रूरता भरी कार्यवाही से अवगत करवाया। गवर्नर सर एडवर्ड मैकलागन गुरुद्वारा गुरु का बाग पहुंचा और उसके आदेश पर यह जब्रो-जुल्म बंद हो गया। इस अरसे तक सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए सिक्ख जांबाज आंदोलनकारियों की संख्या ५५०० से भी अधिक हो गई थी। फिर भी गुरु के सिंघ काफिलों की शक्ल में बिना किसी भय के और उल्लास के साथ गिरफ्तार होने हेतु आते जा रहे थे। डरी हुई सरकार अब किसी न किसी तरह से अकालियों के साथ समझौता करना चाहती थी। अंततः सरकार ने संधि का रास्ता निकाल लिया, जिसके अनुसार सेवानिवृत्त इंजीनियर राय बहादुर सर गंगा राम (लाहौर) ने महंत सुंदर दास से (दस्तावेजों में) भूमि ठेके पर ले ली। उसने लिखकर दे दिया कि उसे पुलिस बल की जरूरत नहीं है और न ही सिक्खों द्वारा गुरु के लंगर हेतु लकड़ियां काटने पर कोई आपत्ति होगी। इस प्रकार मोर्चा गुरुद्वारा गुरु का बाग में गुरु के सिंघों ने विजय प्राप्त की। इस मोर्चे की जीत की चर्चा व प्रशंसा पूरे संसार में हुई।

उल्लेखनीय है कि उस समय की प्रसिद्ध हस्तियों में शामिल इस मोर्चे को देखने के लिए जो व्यक्ति आए थे, उनमें पंडित मदन मोहन मालवीय, कुमारी लज्जावति, हकीम अजमल खान तथा स्वामी श्रद्धानंद थे। पुलिस की दरिंदगी देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। पादरी सी. एफ. एंड्रयू ने स्वयं यह अत्याचार देखकर कहा था- ''मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे मैं एक नहीं, अनेक ईसा को सूली पर चढ़ते हुए देख रहा हूं।''

ढाडिओं का सरदार : ज्ञानी सोहण सिंघ सीतल

*-ज्ञानी बलवंत सिंघ कोठा गुरू**

माननीय ज्ञानी सोहण सिंघ सीतल २०वीं सदी के महान ढाडी हुए हैं। सीतल जी श्रेष्ठ प्रतिभावान, ऊंची उड़ान भरने वाले, यथार्थ को बयान करने वाले विद्वान ढाडी थे। वे सर्वगुण-सम्पन्न थे। सिक्खी में जो ढाडी का स्थान है, उसकी मान-मर्यादा को सीतल जी ने पूरी तरह से कायम रखा। सिंघ सभा लहर के समय भाई किशन सिंघ कड़तोड़ प्रसिद्ध ढाडी हुए हैं, जिन्होंने भ्रम के गढ़ तोड़ कर मन में से अज्ञान का अंधेरा दूर किया था। सीतल जी की कमाई सेवा महान और ऊँची है, इसलिए पंथ में सीतल जी का आज भी सर्वोत्तम स्थान है।

सिक्ख पंथ में राग काव्य और ढाडिओं को उच्च स्थान प्राप्त है। श्री गुरु नानक देव जी ने रबाब द्वारा कीर्तन कर पूरे संसार में 'सतिनामु' का चक्कर चलाया। साथ ही कीर्तन को सिक्खी जीवन का आधार बनाया।

श्री गुरु गोबिंद सिंघ जी ने काव्य द्वारा सिक्ख योद्धाओं में उत्साह पैदा किया।, 'शस्त्र' की 'शास्त्र' (बाणी) के माध्यम से उपमा कर शक्ति और भक्ति को एक बना दिया।

श्री गुरु हरिगोबिंद साहिब ने ढाडी की वीर रसी वारों के साथ-साथ सिक्ख-शक्ति को भी संगठित किया। रोज़ाना के दीवान में श्री अकाल तख़्त साहिब के मैदान में ढाडी वारें गाकर संगत में उत्साह भरते थे।

ढाडी पंजाब की प्राचीन कला है। छः सौ बरस से पंजाब के ढाडिओं के विवरण लिखित रूप में मिलते हैं। चाहे ढाडिओं के नाम-पते हमें पूरी तरह से प्राप्त नहीं हैं परन्तु ढाडिओं का १६वीं सदी में अस्तित्व में आना इतिहास-प्रसिद्ध है। इससे ढाडिओं की लोकप्रियता का संकेत लिया जा सकता है कि गुरु साहिबान भी ढाडी कहलवाने में फख्र महसूस करते थे। उस समय ढाडी भट्ट (भाट) और चारण होते थे जो वीर रस की वारों की रचना कर गायन करते थे। श्री गुरु नानक देव जी से पहले यह लोक-काव्य प्रसिद्धि के शिखर पर पहुँचा हुआ था। वार केवल युद्ध का काव्य है, जो पउड़ियों में लिखा या बोला जाता है। पउड़ी (छंद) के बिना कितना ही वीर रसी काव्य हो, उसे वार नहीं कहा जा सकता। प्राचीन काल में वार को पउड़ियां भी कहा जाता था। पउड़ी और वार एक दूसरे के पर्याय हैं, अभिन्न अंग हैं। वास्तव में पउड़ी वार का छंद है। पउड़ी के बिना वार लिखी नहीं जा सकती। भाई कान्ह सिंघ नाभा ने 'महान कोश' में वार का अर्थ पउड़ी किया है। वार रचने के लिए पउड़ी प्रमाणिक छंद है।

यह लोक-काव्य श्री गुरु नानक देव जी के समय में इतना लोकप्रिय था कि जनसाधारण को नाम-बाणी के साथ जोड़ने के लिए इस काव्य रूप

**गॉव-डॉक : कोठा गुरु, जिला : बठिंडा— १४१२०६*

का तीन प्रकार से प्रयोग कर श्री गुरु नानक देव जी ने इसे आध्यात्मिकता के शांत वातावरण के साथ जोड़ दिया :-

१. ताकि शारीरिक संघर्ष की बजाय आत्मिक संघर्ष के द्वारा जिज्ञासु आत्मिक पद की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने लगे। मनमुखों और गुरमुखों के संघर्ष में से मनमुखों को पराजित कर गुरमुख विजयी होकर निकलने लगें। असुरी संपदा- काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि ठंडे पड़ जाएं और दैवी संपदा- धर्म, दया, क्षमा, सहनशीलता, परोपकार, विवेक, ज्ञान आदि विजेता बन कर निकलने लगे।

२. ये लोक-वारें इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थीं कि श्री गुरु नानक देव जी और अन्य गुरु साहिबान ने इस लोक-काव्य की शैली में केवल वारें ही अंकित नहीं की, बल्कि कई प्राचीन वारों की धुनि निश्चित कर उनके आधार (धारणा) पर गाने की भी आज्ञा दी है। बाईस वारों में से नौ वारों पर छुनि निर्धारित की है। नौ धुनियों में से श्री गुरु नानक देव जी के पूर्व काल की चार वारें- टुंडे अस राजे की वार, सिकंदर बिराहिम की वार, मूसे की वार और ललां बहलीमां की वार पर धुनि निश्चित कर गाने की आज्ञा की है।

३. गुरु साहिबान ने अपने आप को गुरबाणी में बार-बार 'वाहिगुरु के दर का ढाडी' कहा है :

— हउ ढाढी का नीच जाति
होरि उतम जाति सदाइदे ॥ (पन्ना ४६८)
— हउ ढाढी हरि प्रभ खसम का
हरि कै दरि आइआ ॥
हरि अंदरि सुणी पूकार ढाढी मुखि लाइआ ॥
हरि पुछिआ ढाढी सदि कै
कितु अरथि तूं आइआ ॥
नित देवहु दानु दइआल प्रभ
हरि नामु धिआइआ ॥
हरि दातै हरि नामु जपाइआ नानकु पैनाइआ ॥
(पन्ना ९१)
— ढाढी तिस नो आखीऐ
जि खसमै धरे पिआरु ॥
दरि खड़ा सेवा करे गुर सबदी वीचारु ॥
ढाढी दरु घरु पाइसी सचु रखै उर धारि ॥
ढाढी का महलु अगला हरि कै नाइ पिआरि ॥
ढाढी की सेवा चाकरी हरि जपि हरि निसतारि ॥
(पन्ना ५१६)
— ढाढी गुण गावै नित जनमु सवारिआ ॥
(पन्ना ७९०)

ढाडिओं को गुरु साहिबान ने गुरबाणी में बहुत ऊँचा स्थान दिया है। अगर नामों की सूची की तरफ जाएं तो ढाडिओं की सूची बहुत लंबी है, जिनमें से बीसवीं सदी में सर्वपक्षीय विद्वान ज्ञानी सोहण सिंघ सीतल का प्रमुख स्थान है। सीतल ढाडिओं के सरदार थे। इस श्रेष्ठता को और कोई नहीं हासिल कर सका।

ज्ञानी सोहण सिंघ सीतल का जन्म ७ अगस्त, सन १९०९ ई. को पिता स. खुशहाल सिंघ, माता दिआल कौर के घर गाँव कादीविंड, ज़िला लाहौर (अब पाकिस्तान) में हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी (लाहौर) से मैट्रिक और ज्ञानी उत्तीर्ण की। यह सिंघ सभा लहर और अकाली लहर का समय था। इस समय सिक्खी का प्रचार ज़ोर से हो रहा था। गाँव-गाँव दीवान सजते थे। कथाकार, लेक्चरर,

रागी और ढाडी अपनी-अपनी कला (शैली) में विद्वता के साथ गुरबाणी, गुरु-इतिहास के सम्बंध में व्याख्यान देते थे। ज्ञानी सोहण सिंघ सीतल बचपन से ही चेतन, विवेक बुद्धि वाले थे। ढाडिओं की जोशीली, ओजपूर्ण शैली में गाई शहीदों की वारें आप जी के मन पर अकथनीय प्रभाव डालती थीं। आप जी जहाँ भी जाते, ढाडिओं की वारों को विशेष रुचि के साथ श्रवण करते थे। वारों सुनते-सुनते वारें लिखने लगे। वारों को गाने का ज्ञान गाँव ललआणी के भाई चिराग़ दीन को उस्ताद धारण कर प्राप्त किया। सीतल जी ने वारें गाने और लिखने का आरंभ जिस शुभ समय में किया, सतिगुरु ने ज्ञान-अंजन प्रदान कर दिया और सीतल जी आकाश की बुलंदियों को छूते हुए विश्व-प्रसिद्धि के मालिक बन गए। आप जीवन भर केवल गुरु के ढाडी बन कर गुरु-घर को समर्पित रहे। पंथ में आप जी का बहुत ऊँचा स्थान था।

आप जी के उच्च आचरण, सिक्खी जीवन, आपकी विद्वता, आपके कला-कौशल को देख संगत खुद-ब-खुद खिंची चली आती थी। लेखक को कई बार सीतल जी को सुनने का समय मिला है। जो व्यक्ति आप जी का व्याख्यान एक बार सुन लेता था, वह आप जी का प्रशंसक बन जाता था। आप जी का व्याख्यान बा-दलील होता था। व्याख्यान में प्रत्येक घटना को वे विवरण सहित पेश करते थे। वे अपने कहे शब्दों के माध्यम से चित्र-चित्रण श्रोताओं की आँखों के सामने खड़ा कर देते थे। लोकोक्तियों, मुहावरों, कहावतों की जड़त वे समय अनुसार करते थे। अपने कथन की पुष्टि के लिए कई बार मिथिहास का रंग भी चढ़ाते थे, परन्तु इतिहास और मिथिहास को आपस में मिश्रित नहीं होने देते थे। वे ऐसा करके अपने व्यख्यान में जान डाल कर और भी रोचक बना देते थे। श्रोताओं की भावना को समझने वाले, श्रोताओं के मन को पढ़ने वाले, समय अनुसार प्रसंग को वर्णन करने का सामर्थ्य रखते थे। श्रोताओं की वृत्ति के अनुसार प्रसंग को संक्षिप्तता देने और विस्तार में ले जाने की योग्यता रखते थे। स्टेज के सामने बैठे श्रोताओं के मन को पढ़ लेते थे कि श्रोता किस प्रकार का इतिहास सुनना चाहते हैं। विशाल ज्ञान के स्वामी होने के कारण प्रकरण को रोचकता के अधीन प्रमाणों-दृष्टांतों के माध्यम से शब्द-संसार (शब्द-जाल) में बाँध कर श्रोताओं को सम्मोहित कर, अपने साथ बहुत दूर ले जाते थे और अपने सिद्धांत को सिद्ध कर, उच्च उड़ान भर कर, जब अपने लक्ष्य पर फिर वापस आते थे तो श्रोताओं की सपने की भांति आँखें खुल जाती थीं कि सीतल जी जहाँ आकर अब बोलने लगे हैं, वास्तव में शुरू किया गया मुख्य प्रकरण तो यही है।

ज्ञानी सोहण सिंघ सीतल को पंजाब के सर्वपक्षीय विद्वान ढाडी माना जाता है, जिन्होंने सिक्ख इतिहास का बारीकी के साथ अध्ययन किया था। सीतल जी का ऐतिहासिक ज्ञान पंजाबी तक ही सीमित नहीं था, वे अंग्रेज़ी और फ़ारसी के भी पूर्ण ज्ञाता थे। आप जी सर्वोच्च ढाडी तो थे ही, लेखक भी बहुत उच्च कोटि के थे। जितना कुछ भी आप जी ने लिखा है, यथार्थ लिखा है। सत्य का साथ नहीं छोड़ा। आप जी की रचनायें बताती हैं कि आप जी ने सिक्ख राज से संबंधित अंग्रेज़ लेखकों की रचनाओं का अध्ययन कितनी गंभीरता के साथ

किया था। 'सिक्ख राज किवें गिआ?' और 'दुखीए माँ-पुत्त' तत्थों के आधार पर लिखे ऐसे करुणा से भरे ग्रंथ हैं, जिन्हें पढ़ कर प्रत्येक व्यक्ति की आँख नम हो जाती है। सीतल जी अनेक गुणों से विभूषित थे। प्रसिद्ध ढाडी, कवि, खोजी इतिहासकार, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, गीतकार या यूं कह लो कि सर्वपक्षीप कलाकार थे। आप जी की रचनायें इस प्रकार हैं :-

ऐतिहासिक रचनाएं : मनुक्खता दे गुरु (दस पातशाहियाँ), गुरू नानक देव जी, गुरू गोबिंद सिंघ जी, बंदा सिंघ, सिक्ख राज किवें गिआ?, सिक्ख मिसलां ते सरदार घराणे, सिक्ख राज ते शेरे-पंजाब, दुखीए माँ-पुत्त, पंजाब दा उजाड़ा।

उपन्यास : ईचोगिल नहर तक, सुंञा आहलणा, मुल्ह दा मास, पतवंते कातल, विजोगण, दीवे दी लोअ, बदला, अंन्ही सुंदरता, जंग जां अमन, तूतां वाला खूह, जुग्ग बदल गया, काले परछांवें, प्रीत ते पैसा, धरती दे देवते, प्रीत कि रूप, धरती दी बेटी, महाराणी जिंदां, महाराजा दलीप सिंघ, हिमालिआ दे राखे, सुरग सवेरा, सभे साझीवाल सदाइनि, जवालामुखी।

कहानी-संग्रह : कदरां बदल गईआं, अंतरजामी।

नाटक : संत लाधो रे!

गीत : केसरी दुपट्टा, जद मैं गीत लिखदा हां।

ढाडी वारां : सीतल किरणां, सीतल सुनेहे, सीतल हंझू, सीतल हुलारे, सीतल तरंगां, सीतल प्रसंग, सीतल प्रकाश, सीतल तराने, सीतल वारां, सीतल तांघां, सीतल वलवले, सीतल अंगिआरे, सीतल चमकां, सीतल रमज़ां, सीतल उमंगां, सीतल अंगिआरे, सीतल मुनारे, सीतल सौगातां।

काव्य : वहिंदे हंझू, सज्जरे हंझू, दिल दरिया।

मान-सम्मान : आप जी के उपन्यास 'जुग्ग बदल गया' को १९७४ में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। भाषा विभाग पंजाब की तरफ से प्रथम 'शिरोमणि ढाडी पुरस्कार', फिर १९९३ में 'शिरोमणि पंजाबी साहित्यकार' के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप जी को 'भाई गुरदास पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया।

इस प्रकार सफल सेवा करके २३ सितंबर, १९९८ ई. को परलोक सिधार गए।

सीतल जी अंग्रेज़ी, फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, ब्रज भाषा और पंजाबी के महान विद्वान थे। आप जी इतिहास के खोजी, नीति-निपुण थे और आपका व्यवहार कुशल था। ज्ञानी जी मधुर भाषी थे और ज़रूरत पड़ने पर कड़क आवाज़ के मालिक भी थे। आप जी का व्यक्तित्व महान था। आप पूर्ण गुरसिक्ख थे तथा सिक्खी प्रचार की निरंतर लगन आप में थी। दर्शनी शरीर, लंबा कद, चौड़ा मस्तक, लंबी दाढ़ी आपकी पहचान थीं। नीली दसतार, नीला गातरा व श्वेत वस्त्र पहनते थे। उच्च आचरण वाले गुरबाणी के नितनेमी थे। तकरीर एवं तहरीर के धनी थे। हाजिर-जवाब थे। आशंकाओं का तुरत समाधान करने वाले थे।

आप जी का जीवन--आदर्श सिक्खी प्रचार के लिए नए ढाडियों हेतु प्रेरणा-स्रोत बन सकता है। नए ढाडी आप जी के जीवन-मूल्यों से दिशा लेकर पंथ की सेवा तथा अपने सम्मान में वृद्धि कर सकते हैं।

सेलुलर जेल अंडमान : पंजाब के स्वतंत्रता संग्रामी-१

*-डॉ. परमवीर सिंघ**

सेलुलर जेल भारत के आज़ादी परवानों पर हुए ज़ुल्मों का प्रतीक बन कर सामने आई है। कैदियों को यहाँ लाकर उन पर ढाए गए ज़ुल्म इतिहास का हिस्सा हैं। जब यह जानकारी भारत के लोगों तक पहुँची तो सरकार को देश-विदेश में जन-आक्रोश का सामना करना पड़ा था। ज़ुल्म का शिकार वे भारतीय थे, जो ज़लालत से मुक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पंजाब के लोगों और विशेष तौर पर सिक्खों ने इस संघर्ष में अग्रणी के रूप में भूमिका निभाई थी। जो भेदभाव भारत के विभिन्न इलाकों में बसते शूद्रों के साथ किया जाता था, उसी प्रकार के भेदभाव का सामना भारतीयों को उस समय करना पड़ता था, जब वे रेलों, होटलों, क्लबों, अदालतों, थानों आदि में जाते थे।

अंग्रेज़ सरकार के यूरोप में काबिज़ देशों के लोगों और भारतीयों के लिए अलग-अलग कानून थे। चाटुकारिता, चापलूसी और स्वार्थ-पूर्ति तक सीमित कुछ भारतीय तो इसे अनदेखा कर देते थे, परन्तु आत्मसम्मानी और शौर्य में विश्वास रखने वालों के लिए ऐसा सब कुछ सहन करना मुश्किल था। देश-विदेश में रहने वाले भारतीय जब ऐसे भेदभाव का सामने करते थे तो उनका ख़ून खौल उठता था। विदेशों में निवास कर रहे भारतीय भी यह महसूस करने लगे थे कि उनके साथ विदेशों में भेदभाव शायद इस कारण अधिकतर होता है, क्योंकि उनका देश ग़ुलाम है। इसके साथ ही वे अपने देश में बसते अपने भारतीय भाईचारे के साथ भी हमदर्दी रखते थे, जिन्हें बेगार के लिए ले जाने के साथ-साथ उन पर अमानवीय अत्याचार किया जाता था। भारत के लोग अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से तंग आकर आज़ादी के लिए ज़ोर लगाने लगे थे। ग़ुलामी के एहसास ने विदेशों में बसते भारतीयों को एक प्लेटफार्म पर एकत्रित कर दिया था। इस भावना ने सभी को हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जात-पांत, ऊच-नीच, भौगोलिक क्षेत्र, पार्टी निजी स्वार्थ आदि से मुक्त कर दिया था। सभी एक-दूसरे के हमदर्द, सहयोगी, मित्र, विश्वासपात्र आदि बन कर आज़ादी के लिए सामूहिक रूप से संघर्ष करने लगे थे। सबके मन में मात्र भारत की आज़ादी का सपना ही प्रफुल्लित हो रहा था।

भारतीयों के मन में पैदा हुई आज़ादी की भावना ने बर्तानवी साम्राज्य का विरोध करने वालों को एकजुट कर दिया था। जिन देशों की सरकारों के साथ अंग्रेज़ों का विरोध था, वे

**सिक्ख विश्वकोष विभाग, पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला— १४७००२, फोन : ८९७२०-७४३२२*

भारतीयों को उनके विरुद्ध उकसाने का यत्न करने लगी थीं। इसी यत्न के रूप में भारत-विरोधी बहुत-सी नयी जत्थेबंदियाँ अस्तित्व में आ गई थीं। प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले अस्तित्व में आई जत्थेबंदियों और पार्टियों का एक ही मकसद देश को आज़ाद कराना था। १९१४ ई. में 'इंटरनेशनल प्रो-इंडियन कमेटी जर्मन में सामने आई, जिसे अंग्रेज़ सरकार-विरोधी साहित्य प्रकाशित करने की स्वीकृति दी गई। जर्मन सरकार ने संघर्ष करने वाले भारतीयों को हथियार भी प्रदान किए थे। इसी प्रकार अमेरिका में वजूद में आई ग़दर पार्टी की शाखाएं कई देशों में स्थापित की गईं। इंडियन नेशनल पार्टी भी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले भारतीयों की जत्थेबंदी के तौर पर कार्य कर रही थी। इन जत्थेबंदियों के विभिन्न देशों में मौजूद सदस्यों को हथियार और साहित्य पहुँचाने का कार्य किया जा रहा था। भारत के अंदर संघर्ष कर रहे लोगों को बाहर से सहायता मिलने से वे स्वयं को और भी ज्यादा उत्साहित एवं मज़बूत महसूस कर रहे थे। जो देश अंग्रेज़ों के साथ थे, वहाँ बसते भारतीय अप्रत्यक्ष रूप से देश की आज़ादी के लिए यत्नशील थे। जो पकड़े जाते थे, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। ऐसे व्यवहार ने भी भारतीयों को दबने की बजाय और ज्यादा मजबूत कर दिया था। ऐसे देशों में से जो आज़ादी के परवाने भारत आकर भाग ले रहे थे, वे अपनी ज़मीन-जायदाद बेच देते थे।

उत्तरी भारत में पंजाब और पूरबी भारत में बंगाल, दो ऐसे इलाके थे, जहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों की नीतियों का हर तरह से डटकर विरोध करना आरंभ कर दिया था। कहीं-कहीं यह आंदोलन हिंसक रूप भी धारण कर गया था। आज़ादी के आंदोलन का मुकाबला करने के लिए अंग्रेज़ रोज़ नयी योजनाएँ बनाते रहते थे। लोगों को दबाने के लिए वे जहाँ राजसी हथकंडे इस्तेमाल करते थे, वहीं कानून की मदद से वे आम लोगों को लंबे समय के लिए जेलों में भी डाल देते थे। लम्बी और कठोर सजा काटने के बाद जब वे वापस आते तो फिर संघर्ष के रास्ते चल पड़ते थे। संघर्ष कर रहे लोगों को अपने नेताओं की तरफ से निरंतर प्रेरणा और नेतृत्व प्राप्त हो रहा था, जिस कारण जेल की कठोरता भी उनका मनोबल गिरा नहीं सकीं थी। मुलाकातियों, जेल में थोड़े समय के लिए आने वाले कैदियों और स्थानीय सिपाहियों के माध्यम से उन्हें संघर्ष की खबरें निरंतर पहुँच रही थीं, जिस कारण संघर्षी योद्धा और ज्यादा उत्साहित हो जाते थे। संघर्ष करने वालों को समाज से दूर रखने के लिए सरकार निरंतर यत्नशील थी और इसी यत्न के तौर पर सेलुलर जेल तैयार की गई थी। जेल सुप्रिंटेंडेंट मेजर मरे और जेलर बैरी द्वारा स्वतंत्रता संग्रामियों पर किये गए अमानवीय जुल्मों ने प्रत्येक भारतवासी का ध्यान इस जेल की तरफ आकर्षित किया था।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बनी इस जेल को 'काला पानी' भी कहा जाता है। 'काला पानी' शब्द की व्याख्या विद्वानों ने अलग-अलग

ढंग से की है, मगर ऐसे लगता है कि पानियों में घिरे हुए टापुयों में से वापस आना असंभव लगता था, इसलिए इस जेल का नाम 'काला पानी' पड़ गया था। इसका तात्पर्य यह लिया जा सकता है कि जहाँ का पानी काल का रूप धारण कर जाये वह 'काला पानी' है। समुद्र के निकट जंगल में खड़े पानी में विशेष किस्म का मच्छर भी पैदा होता था, जो कि कैदियों की मौत का कारण बनता था।

१८५७ ई. के आंदोलन के पश्चात्त यहाँ कैदियों का आना आरंभ हो गया था और यह सिलसिला निरंतर जारी था। यह टापू अपने आप में ही जेल था। यहाँ आने वाला कैदी बाहर नहीं जा सकता था। जो भागने का यत्न करता था वह कबीलों के हाथों मारा जाता था और यदि दोबारा पकड़ा जाता तो उस पर घोर अत्याचार किया जाता था। १९०६ ई. में यहाँ एक जेल का बाकायदा निर्माण किया गया, जिसे देख कर यह तस्वीर सामने आती है कि इस जेल के केंद्र में एक बुर्ज (गरगज, मीनार) बनाया गया है, जिसके चारों तरफ़ सात लम्बे कक्ष तैयार किए गए और प्रत्येक कक्ष में कैदियों के लिए तैयार किये छोटे कक्षों की संख्या अलग-अलग है। प्रत्येक कक्ष के बाहर लोहे का दरवाज़ा लगाया गया और इसके बाहर दीवार में लगाए गए कुंडे या ताले तक किसी कैदी का हाथ नहीं पहुँच सकता था। प्रत्येक कक्ष के सामने बरामदा है जिस पर लोहे के मज़बूत जंगले लगे हुए हैं, ताकि कोई कैदी बाहर न जा सके। कक्ष में से बाहर निकल कर बुर्ज के माध्यम से नीचे आया जा सकता है। प्रत्येक कक्ष और बुर्ज के बीच एक लोहे का भारी गेट लगा हुआ है। इसे लकड़ी के तख्तों के साथ जोड़ा हुआ है। लकड़ी के तख्तों को तोड़ दिया जाये, तो किसी कक्ष में से कोई कैदी बाहर नहीं आ सकता। बुर्ज के माध्यम से समूह कैदियों पर सख़्त नज़र रखी जाती थी। दो लम्बे कक्ष के मध्य एक स्थान पर फांसी देने के लिए तीन तख़्ते लगाए गए थे, ताकि अपनी आँखों से इस घटनाक्रम को देख कर कैदी सरकार की अधीनता कबूल कर ले और उसके मन में से स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना ख़त्म हो जाये या कम से कम जेल अधिकारियों का भय उसके मन में बैठ जाये। वर्तमान समय में इस बुर्ज में संगमरमर के पत्थरों पर अलग-अलग राज्यों से जेल में आए कैदियों के नाम लिखे हुए हैं। ऐतिहासिक आविष्कार बताते हैं कि पंजाब के कुछ कैदियों का नाम इन पत्थरों पर उकरा हुआ नहीं है, जैसे- स. बुड्ढा सिंघ, स. बुड्ढा सिंघ फैलोके, स. मेहर सिंघ आदि कुछ नाम ऐसे हैं जो एक मंजिल पर तो लिखे हुए हैं और दूसरी मंजिल पर लगे पत्थरों पर वे नाम नहीं हैं, जैसे- स. सुरजन सिंघ, स. नेहर सिंघ, स. मुनशा सिंघ दुखी, राजा राम आदि। इस जेल में जो कैदी लाए गए थे, पहले उन पर मुकद्दमे चलाए गए थे। फिर मुखबिरों की रिपोर्टों एवं झूठे गवाहों के आधार पर उन्हें सज़ा सुनाई गई थी। सेलुलर जेल में लाने वाले कैदियों पर जो केस चलाए गए थे, उनका विवरण इस प्रकार देखा जा सकता है :-

लाहौर साजिश केस : 'डिफेंस ऑफ इंडिया

एक्ट' के अधीन विद्रोही देश-भक्तों के ख़िलाफ़ यह पहला केस था जिस कारण इसे प्रथम लाहौर साजिश केस भी कहा जाता है। अप्रैल १९१५ ई. में यह केस लाहौर की सेंट्रल जेल में चलाया गया था। इस केस में बहुत-से दोशी वे पंजाबी थे जो अलग-अलग रास्तों के माध्यम से भारत को आज़ाद कराने के लिए विदेशों से आए थे। इन्हें पंजाब की विभिन्न जेलों में बंद किया गया था और मुकद्दमे से पहले सबको लाहौर की इस केंद्रीय जेल में तबदील कर दिया गया था। इन गदरी कैदियों पर झुक जाने, मुखबिर बन जाने, संघर्ष का रास्ता छोड़ देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ये विद्रोही चाहे पंजाब में से ही विदेश गए थे, परन्तु वहाँ के स्वतंत्र माहौल ने उन्हें निडर बना दिया था। वे हर बात सामने कह देते थे और किसी भी सरकारी लालच के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं थे, परन्तु फिर भी सरकार अपने मिशन में सफल हो गई थी। कुछ गदरियों को सरकार ने बड़े लालच देकर मुखबिर बना लिया था जिससे गदरियों की सारी योजना उन तक पहुँच गई थी। विभिन्न पुस्तकों से मुखबिरों की जो कोई सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, उनमें नवाब ख़ान, मूला सिंघ मीरकोटी, किरपाल सिंघ मादोके, अमर सिंघ अम्बाला, सुच्चा सिंघ आदि शामिल थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में झूठे गवाह भी बनाए गए थे, ताकि अदालती कार्यवाही पूरी की जा सके।

सरकार गदरियों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही करने की इच्छुक थी और चाहती थी कि कहीं इनकी देश-भक्ति वाली भावना अन्य पंजाबियों तक न पहुँच जाये। पंजाब के लोगों के लिए यह एक बड़ी प्रेरणा थी कि भारत को आज़ाद कराने के लिए विदेश गए पंजाबी तो वापस लौट आए हैं, परन्तु यहाँ के बहुत-से पंजाबी अभी ग़ुलामी की गहरी नींद में सोए पड़े हैं। इन गदरियों को फांसी या उम्र कैद की मंशा से सरकार ने जेल में ही अदालत का गठन कर दिया था, ताकि मुकद्दमों की सुनवाई में देरी न हो सके। इसके साथ सरकार ने यह फ़ैसला भी कर लिया था कि जेल की इस अदालत की सुनवाई किसी अन्य अदालत में नहीं हो सकती। इसके साथ केसों का एकतरफा और तुरंत निपटारा करने में सहायता मिलेगी।

इन दोषियों के लिए लाहौर की जेल में बनाई गई विशेष अदालत में मुकद्दमों की सुनवाई के लिए तीन जजों को नियुक्त किया गया। ए. ए. इरविन मुख्य जज थे; टी. पी. एलिस और शिव नारायण इनके साथ सदस्य थे। २६ अप्रैल को अदालत की कार्यवाही आरंभ हुई तो समूह कैदियों को बारी-बारी से अदालत में पेश किया जाने लगा। झूठे गवाहों को मुजरिमों की पहचान करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि इन्होंने पगड़ी बदली हुई है। कैदियों में शामिल भाई जवाला सिंघ ने कहा कि पगड़ी ही बदली है, चेहरे तो नहीं बदले। इस बात पर पैदा हुई तकरार के कारण जज ने भाई जवाला सिंघ को तीस बेंत मारने की सज़ा सुनाई, जिसने समूह कैदियों के मन में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। ८१

गदरियों पर चलाए गए केसों का फ़ैसला १३ सितम्बर, १९१५ ई. को सामने आया, जिसमें २४ गदरियों को फांसी और २७ को उम्र-कैद की सज़ा सुनाई गई। शेष की सज़ा कम की गई और वादा-माफ बने गवाहों को बरी कर दिया गया। फांसी की सज़ा वालों का केस वायसराय लार्ड हार्डिंग की कौंसिल के पास गया, तो यह विचार हुआ कि प्रथम विश्व-युद्ध के मद्देनज़र मौत की सज़ा पर नज़रसानी होनी चाहिए, नहीं तो अंग्रेज़ों द्वारा लड़ रही भारतीय फौज के मन में बग़ावत का ख़्याल पैदा हो सकता है। इस फौज में भी बड़ी संख्या में पंजाब के नौजवान शामिल थे और इनमें से ज्यादा संख्या सिक्खों की थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय पंजाब से भर्ती किये गए फौजियों की संख्या सवा लाख के लगभग थी जो अंग्रेज़ सरकार के लिए मरने के लिए तैयार हुए थे। इसके साथ ही सरकार के ध्यान में यह भी था कि झूठे गवाहों के आधार पर किये फ़ैसले आम लोगों में सरकार के प्रति हमदर्दी पैदा नहीं कर सकते। इस कारण २४ में से १७ गदरियों की फांसी की सज़ा उम्र-कैद में बदल कर उन्हें अंडमान भेजने का फ़ैसला किया गया। सज़ा हो जाने के बावजूद भी गदरियों ने जेल में चढ़दी कला वाली भावना बनाई हुई थी।

प्रथम सप्लीमेंटरी साजिश केस : इस केस की सुनवाई भी लाहौर सेंट्रल जेल में हुई थी और इसमें भी पहले वाले जज ही मौजूद थे। यह केस २९ अक्तूबर को शुरू हुआ था और ३० मार्च, १९१६ ई. को इसका फ़ैसला आया था। इस केस में फ़रार और बरी हो जाने वालों के अलावा ६ को फांसी और ४५ को उम्र-कैद हुई थी।

इस केस में कुछ दोषी भगौड़े हो गए थे और कुछ को केस शुरू होने से पहले ही छोड़ दिया गया था।

द्वितीय सप्लीमेंटरी साजिश केस : भले ही गदरियों के ख़िलाफ़ यह तीसरा मुकद्दमा था, परन्तु यह प्रथम केस के रूप में सप्लीमेंटरी केस के तौर पर पेश हुआ था, इसलिए इसे द्वितीय सप्लीमेंटरी केस कहा जाता है। इसकी सुनवाई के लिए जो जज नियुक्त किये गए उनके नाम थे:- टी. पी. ऐल्स, मेजर फरिज़ले और राय बहादुर गोपाल दास भंडारी। ४ जनवरी, १९१७ ई. को सुनाए गए फ़ैसले के अनुसार इस केस में ६ को मृत्यु-दंड और ५ को उम्र-कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा काटने के लिए इन्हें अंडेमान भेज दिया गया।

बनारस साजिश केस : इस केस का सम्बन्ध बंगाल के उन लोगों के साथ था, जिन्होंने ग़दर पार्टी में हिस्सा लेकर बनारस को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया था। विष्णु गणेश पिंगले बंगाली था और यह पंजाब के गदरी बाबाओं के साथ अमेरिका से भारत आया था। इसके प्रभाव के कारण बहुत-से बंगालियों ने ग़दर लहर में योगदान दिया था। ग़दर लहर के असफल हो जाने के कारण इनकी योजनाएँ भी धरी की धरी रह गई और सरकार ने इन पर शिकंजा कस दिया। जो मुखबिर बन गए वे बच गए, बाकी पर मुकद्दमा चलाया गया। इनके नेता

एस. एन. सान्याल को उम्र-कैद की सज़ा हुई तथा १० अन्य को कठोर कारावास की सज़ा दी गई और शेष को छोड़ दिया गया।

मांडले साजिश केस : इस केस की सुनवाई मांडले, बर्मा में हुई थी। इस केस के जज थे– एस.एम. रोबिनसन, मौग किन और एच. ई. मकौल। २७ जुलाई, १९१६ ई. को इस केस का फ़ैसला सुनाते हुए ७ को मृत्यु-दंड और ५ को उम्र-कैद की सज़ा हुई। सज़ा काटने के लिए इन्हें अंडमान भेज दिया गया था।

दूसरा मांडले साजिश केस : इस केस में ३ को फांसी और १ को उम्र-कैद की सज़ा सुनाई गई थी। बाद में मौत की सज़ा उम्र-कैद में बदल कर इन्हें अंडमान भेज दिया गया।

इनके अलावा देश-भक्तों पर विभिन्न मामलों में अन्य बहुत-से मुकद्दमे चलाए गए थे, जिनकी तफ़सील बड़े खोज-कार्य का हिस्सा है। देश-भक्तों के साथ हमदर्दी रखने वाले फ़ौज के जवानों पर भी कई मुकद्दमे चले थे, जिनमें उनका कोर्ट मार्शल कर सज़ाएं दी गई थीं। इस केस में फ़ौज के २३वें रिसाले का नाम विशेष वर्णनयोग्य है। कहा जाता है कि सरकार को यह शक था कि फ़ौज के सिपाहियों के साथ गदरियों का मेलजोल है, मगर इसकी पुख़्ता जानकारी नहीं थी। यह भेद उस समय खुला जब २३वें रिसाले के जवानों को लाहौर से नगाओं छावनी, उतर-प्रदेश में बदला जा रहा था तो स्टेशन पर सामान चढ़ाते समय स. वधावा सिंघ का संदूक गिर गया, जिसमें रखा हुआ बम फट जाने के कारण सारा भेद खुल गया। पड़ताल होने पर इनके गदरियों के साथ संबंध होने के बारे में पता चला। इस टुकड़ी के २० जवानों को प्रथम विश्व-युद्ध में भेजा जा रहा था, परन्तु भेद खुल जाने के कारण सबको वापस बुला लिया गया। दगशयी में इनका कोर्ट मार्शल हुआ। इनमें से बारह को मौत की सज़ा सुनाई गई और बाकी छः की सज़ा उम्र-कैद में बदल कर इनको अंडमान भेज दिया गया था। अंडमान भेजे जाने वाले जवानों के नाम इस प्रकार बताए जाते हैं– स. बिशन सिंघ ढोटियां, स. बिशन सिंघ ढोटियां (द्वितीय) , स. नत्था सिंघ, स. केहर सिंघ, स. चंनण सिंघ ढंड कसेल और स. नंद सिंघ राय का बुर्ज। २३वें रिसाले के अलावा १२८वीं पायनियर, १२वां रिसाला १५वीं इन्फेंटरी आदि के सिपाही भी ग़दर लहर के साथ जुड़ गए थे, जिन्हें अलग-अलग सज़ा दी गई थी। ग़दर पार्टी में हिस्सा लेने वालों पर जो मुकद्दमे विदेशों में चलाए गए उनमें सानफ्रांसिस्को, शिकागो आदि शहरों का नाम विशेष तौर पर सामने आता है।

कैदियों के साथ व्यवहार : उम्र-कैद की सज़ा काटने के लिए जिन कैदियों को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्थापित की गई सेलुलर जेल में भेजा गया था, उनकी कुर्बानी भी फांसी चढ़ने वालों से कम नहीं थी। इन कैदियों के साथ जो व्यवहार होता था उसे सुन कर ही रौंगटे खड़े हो जाते हैं। जेल अधिकारी कैदियों को कठोर सज़ा देते थे। इनमें से एक यह था कि कैदी को लोहे के एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया जाये

जिसमें आदमी या तो बड़ी मुश्किल से लेट सकता है और या बहुत मुश्किल के साथ खड़ा हो सकता है। ये पिंजरे बैरकों में रखे हुए थे और कई देश-भक्तों को इनमें लम्बे समय तक बंद रखा जाता था, जिससे न तो उसे बाहरी हवा लगती थी और न कभी धूप के दर्शन होते थे। मास्टर चतर सिंघ, बाबू अमर सिंघ, स. जवाला सिंघ, स. लाल सिंघ इन पिंजरों में कई साल बंद रहे थे। कैदियों को खड़ी हथकड़ी, कोठी बंद, डंडा बेड़ी, टिकटिकी में बांध कर नंगी पीठ पर बेंत की मार, कम और घटिया ख़ुराक आदि सज़ा दी जाती थीं। कंबल प्रेट और जंगला प्रेट दो ऐसी सज़ाएं थीं जो आदमी को मार देती थीं। कंबल प्रेट की सज़ा उस कैदी को दी जाती थी, जो सामर्थ्य से अधिक दिया हुआ काम न कर सकता हो और जेलर की गाली-गलौच व मारपीट चुप-चाप न सह सके। कैदी को कंबल में डाल कर इतना पीटा जाता था कि गुप्त चोटों के साथ या तो जीवन भर के लिए रोगी अथवा अपंग हो जाता था या बेहोश होकर दम तोड़ देता था। जो कैदी मारपीट न सहते हुए मर जाता था उसे उठा कर जंगले के साथ फांसी पर लटका दिया जाता था। अलार्म बजा कर यह एलान कर दिया जाता था कि कैदी ने फांसी ले ली है। जेल में हुए शहीदों के नाम इस प्रकार बताए जाते हैं- भाई भान सिंघ, भाई राम रक्खा, भाई नंद सिंघ, भाई रुलिया सिंघ, भाई रोडा सिंघ, भाई बुड्ढा सिंघ, भाई नत्था सिंघ और भाई केहर सिंघ।

कैदियों के लिए दया या क्षमा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। प्रत्येक छोटी से छोटी गलती के लिए भी सख़्त सज़ा देने में गर्व महसूस किया जाता था। कैदियों को कीड़े-मकौड़े समझ कर बुरे तरीके से घायल या बेहोश हो जाने तक मारपीट करनी आम बात थी। बारिश, आँधी या मौसम की ख़राबी में भी काम से छूट नहीं थी। जितना काम दिया जाता था, उतना करना आवश्यक था, नहीं तो सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता था। अंडमान की आब-ओ-हवा ऐसी है जहाँ वर्ष में नौ महीने मौसम ख़राब रहता है। कब बारिश आ जाये कोई पता नहीं चलता। कैदी बारिश में भी काम करने के लिए विवश थे। कैदियों के कपड़े गीले हो जाते थे, जो बीमारी का कारण बनते थे। मलेरिया, तपेदिक, दस्त आदि बीमारियाँ ज्यादातर बाहर काम करने वाले कैदियों को हो जाया करती थीं। बारिश के साथ पैदा हुआ मच्छर और जोंक कैदियों का भारी शारीरिक नुकसान कर देते थे। जो कैदी जेल में रह जाते थे, वे खुद को खुशकिस्मत समझते थे कि चलो कीड़े-मकौड़ों आदि से तो बचे।

जो भोजन कैदियों को दिया जाता था उसमें कई बार पीसा हुआ शीशा, कंकड़ आदि मिला होता था। रोटी में मिट्टी होती थी। जो कैदी जेल में से बाहर काम के लिए ले जाए जाते थे, उनसे सड़क बनाने, वृक्ष काटने तथा अन्य भवन-निर्माण के काम लिए जाते थे। इनमें से कोई भी कैदी भागने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि जंगल में जानवरों व जंगली लोगों से ख़तरा होता था तथा समुद्र के रास्ते भारत आने का

कोई साधन मौजूद नहीं था। जिन्होंने तैर कर समुद्र पार करने का साहस किया था, कोई भी किनारे नहीं लग सका था। जेल में कैदियों को नारियल में से तेल निकालने और नारियल के बाहरी छिलके को काट कर उस को नरम करना पड़ता था, ताकि इससे रस्सी आदि बनाई जा सके। जिनके पास हरे छिलके आ जाते थे, उनकी जान आसान हो जाती थी, क्योंकि हरे छिलके को जल्दी ही नरम किया जा सकता था, परन्तु जिन्हें सूखे हुए छिलके को पीटने का काम दिया जाता था, उनकी हालत ख़राब हो जाती थी। छिलके कूटते-कूटते हाथों में छाले पड़ जाते थे। इतनी कठिन मेहनत करने वालों को उबले हुए चावल का पानी या मिट्टी मिली रोटियों से गुज़ारा करना पड़ता था। जेल-स्टाफ का कहना न मानने वालों के लिए बेंत की सज़ा का विधान था।

सिक्ख कैदियों का धार्मिक जोश : अंडमान जेल में पंजाब से लाए गए राजसी कैदियों में सिक्खों की बहुसंख्या थी। हिंदू और मुसलमानों की संख्या आटे में नमक के बराबर थी। सिक्ख कैदी अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि और परंपराओं के साथ अच्छी तरह से और दूसरे धर्मों से सम्बन्धित जो पंजाबी कैदी वहाँ लाए गए थे, उनमें से एक-दो को छोड़ कर सब पर पंजाब की गौरवमयी परंपरा का प्रभाव था। जब्र और जुल्म को सहन न करना और उसका डट कर मुकाबला करना पंजाबियों के स्वभाव में था। गुरु का सहारा लेकर जो कार्य शुरू करते, उसे पूरा करने के लिए अपनी जान की भी परवाह न करते। बाबा जवाला सिंघ, बाबा वसाखा सिंघ आदि सिक्ख ख़ुशहाल जीवन की आशा में जब अमेरिका जा बसे थे, तो उन्होंने वहाँ के स्टॉकटन नगर में सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब स्थापित किया था। अमेरिका जा बसे पंजाबी जब भारत वापिस लौटे तो उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष देश को आज़ाद कराने का संकल्प लिया था, जिसका वर्णन करते हुए चिरंजी लाल कंगणीवाल बताते हैं कि 'बाबा जवाला सिंघ ने अपने साथियों– बाबा वसाखा सिंघ और भाई संतोख सिंघ के साथ मिल कर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष प्रण कर देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने के लिए कमर कस ली।'' गदरियों के मन में देश-प्रेम उस समय पैदा हुआ था जब उन्हें विदेश में में ग़ुलामी की भावना का एहसास हुआ था। ग़ुलामी की भावना से मुक्त होने के लिए धार्मिक भावनाएं उनका आधार बनी थीं। पंजाबियों की परंपरा में गुरु साहिबान ने आत्मसम्मान से भरपूर जीवन-युक्ति का जो बीज बोया था, उसने प्रफुल्लित होना शुरू कर दिया था। जेल की काल-कोठरियों और कठोरता को उन्होंने ईश्वरीय आदेश मान लिया था। राजसी कैदियों को अंडमान जेल में सबसे ज्यादा कठोरता का सामना करना पड़ा था। इस कठोरता के उस समय में सिक्ख कैदियों की चढ़दी कला का वर्णन करते हुए बाबा वसाख़ा सिंघ लिखते हैं:

सख़्त सानूँ फिर देणे तकलीफ़ भाई,
कहिर साडे उते चंगा गुज़ारिआ जी!
रक्ख आसरा असीं करतार दा जी,
नाम वाहिगुरू मुखों उचारिआ जी!

जेल-स्टाफ के व्यवहार में नरमी : जेल अधिकारियों के ज़ुल्मों से कैदी बहुत तंग थे। छोटी-छोटी बात पर सख़्त सज़ा दी जाती थी। कैदियों को बुरी तरह से पीटा जाता था। गीले बेंत की मार शरीर से मांस जुदा करने के लिए काफ़ी थी। बेहताशा मारकुटाई के कारण कई कैदी मर रहे थे। बाबा भान सिंघ भी उनमें से ही एक था। कैदी चाहते थे कि जेल में हो रहे ज़ुल्म की बात बाहर निकले तो ही राहत मिल सकती है। बाहर जाने वाला प्रत्येक एक पत्र, कागज़ या चिठ्ठी जेलर की अनुमति के बिना बाहर नहीं जा सकती थी। लगभग तीन वर्ष बाद एक चिट्ठी कलकत्ता पहुँचने में कामयाब हो गई जो कि वहाँ के एक अख़बार में छपी। इस चिट्ठी के छपते ही लोगों में हाहाकार मच गई। अंडमान जेल की सज़ा राजनीतिक संघर्ष कर रही पार्टियों का मुख्य मुद्दा बन गई। कलकत्ता से पंजाब और दक्षिण तक अंडमान के ज़ुल्म की खबरें छपने लगीं। सरकार की कठोरता और मनमानियों के कारण इन दिनों ही पंजाब में जलियां वाला बाग़ का साका घटित हो गया। पूरे देश में अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ नफ़रत की आग फैल गई। सरकार ने अपनी चमड़ी बचाने के लिए मार्च १९२० ई. में एक आयोग अंडमान भेजा, जिसने सेलुलर जेल का दौरा किया। जेलर ने बहुत यत्न किये कि आज़ादी की जंग में पकड़े हुए कैदी आयोग के सामने पेश न हों, मगर ऐसा संभव न हो सका। जाँच-आयोग ने जब देश-भक्तों के मुँह से जेल स्टॉफ के ज़ुल्म की कहानियाँ सुनी, तो वह दंग रह गया। इस आयोग की रिपोर्ट ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कैदियों की सज़ा कम करे, कैदियों को भारत की अन्य जेलों में तबदील करे या फिर उन्हें छोड़ दे। जाँच-आयोग की रिपोर्ट ने जेल स्टॉफ के व्यवहार में बहुत परिवर्तन किया।

विभिन्न स्रोतों से जिन कैदियों के नाम का विवरण प्राप्त हुआ है, उनके बारे यहाँ पर संक्षिप्त रूप से जानकारी देने का यत्न किया जा रहा है :-

स. ऊधम सिंघ : पंजाब के श्री अमृतसर साहिब ज़िले के गांव कसेल में १८८२ में स. मेवा सिंघ और माता हरनाम कौर के घर इनका जन्म हुआ था। २५ वर्ष की आयु में ये विदेश चले गए और कई मुल्कों से होते हुए अमेरिका पहुँच गए, जहाँ ग़दर पार्टी के नेताओं के साथ इनका मेल हुआ। इन्होंने कुछ नौजवानों से मिल कर स. जवाला सिंघ ठट्टिया के फार्म पर जाकर फ़ौजी प्रशिक्षण प्राप्त किया। अमेरिका से तोशामारू जहाज़ में भारत लौटे, तो इन्हें गिरफ़्तार कर इनको पहले लाहौर साजिश केस में २९ अक्तूबर, १९१५ ई. को उम्र-कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा काटने के लिए इन्हें पहले कलकत्ता की अलीपुर जेल में ले जाया गया और फिर १० दिसंबर, १९१५ ई. को अंडमान और निकोबार में बनाई गई सेलुलर जेल में पहुँचाया गया। यहाँ बाबा जवाला सिंघ के नेतृत्व में ये जेलर की ज्यादतियों का विरोध करते रहे। १९२१ ई. में इनको मद्रास की कोयम्बटूर जेल में तबदील कर दिया गया। इसी वर्ष ये कोयम्बटूर (मद्रास) जेल में से फ़रार होकर काबुल की तरफ चले गए । यहाँ भी इन्होंने

अपना मिशन जारी रखा और पंजाब के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सम्बन्ध स्थापित किए रखे। १९२६ ई. में ये श्री अमृतसर साहिब आए और यहाँ से वापस जाते समय रास्ते में दो पठान लुटेरों ने इनका कत्ल कर दिया था। पता चलने पर पठान समाज ने उन लुटेरों का बाइकाट कर दिया था। स. ऊधम सिंघ की मृत्यु से सम्बन्धित यह बात भी प्रचलित हो गई थी कि उन्हें सी. आई. डी. दे आदमियों ने मारा है या मरवाया है।

स. अमर सिंघ : ये लुधियाना ज़िले के गाँव शेरपुर के निवासी स. वरिआम सिंघ के पुत्र थे। १८८१ ई. में इनका जन्म हुआ। रोज़गार की खोज में ये स्याम (थाईलैंड) चले गये थे जहाँ इन्होंने इंजीनियर के रूप में नौकरी हासिल कर ली थी। जर्मनी इंजीनियरों के साथ इनका सुखद तालमेल थे। ये निरंतर अपने काम में जुटे रहते थे, जिस कारण इनकी अपने साथियों में प्रशंसा भी होती थी। एक कवि इनके मन में हमेशा जिंदा रहता था, जिसके प्रभावाधीन ये देश-भक्ति के गीत गाने लग जाते थे। अमेरिका से प्रकाशित होने वाला 'ग़दर अख़बार' जिस भी देश में जाता भारतीयों के मन में आज़ादी की लहर पैदा कर देता। इसके साथ ही अमेरिका से भारत आने वाले देश-भक्त, जिस भी देश में से होकर जाते थे, अपनी तकरीर द्वारा सबको प्रभावित कर जाते थे। तकरीरों का प्रमुख स्थान गुरुद्वारा साहिब ही होता था। उन तकरीरों का स. अमर सिंघ के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और ये ग़दर लहर के साथ जुड़ गए। बर्मा और थाईलैंड में गदरी कार्यवाहियाँ चलाने के लिए इनका घर मुख्य कार्यलय बन गया था। ये अपने साथियों के साथ मिल कर देश की आज़ादी में योगदान देने के लिए निरंतर सक्रिय भूमिका निभाने लगे। विश्व-युद्ध के बादल सभी देशों पर मंडरा रहे थे और स्वतंत्रता संग्रामी इसका इंतज़ार कर रहे थे, ताकि इससे लाभ लेकर भारत को आज़ाद करवाया जा सके। १९१४ ई. में पहला विश्व-युद्ध आरंभ हुआ तो भारतीयों को अपनी योजना को फल लगता नज़र आने लगा। इस युद्ध का नकारात्मक पहलू यह था कि यह उम्मीद से पहले शुरू हो गया था और भारतीय संग्रामियों ने अभी इसकी पूरी तैयारी नहीं की थी।

जर्मन भारत के बागियों को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहता था ताकि भारत की सरकार को कमज़ोर कर इस पर कब्ज़ा किया जा सके। जर्मन ने गदरियों तथा भारत को आज़ाद कराने के इच्छुक भारतीयों को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए जहाँ जर्मन में काम करने वाली भारतीय जत्थेबंदियों के साथ संपर्क स्थापित किया, वहीं सिंगापुर, थाईलैंड, बर्मा आदि देशों में बसे भारतीयों को हथियार पहुँचाने का यत्न निरंतर जारी था। इस मुहिम में लगे हुए एक जर्मन बाग़ी के पकड़े जाने से सारा भेद खुल गया और सरकार ने गदरियों एवं हथियारबंद संघर्ष करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही आरंभ कर दी। जो पकड़े गए, उन पर 'डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट' के अधीन मुकद्मा चलाया गया, जो कि मांडले (बर्मा) साजिश केस के नाम के साथ प्रसिद्ध है। इसी कार्यवाही के दौरान स.

अमर सिंघ के गैराज में से भी भारत की आज़ादी हासिल करने वाला साहित्य और हथियार पकड़े गए। इन्हें गिरफ़्तार कर मुकद्दमा चलाया गया। जुलाई, १९१७ ई. में इन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। यह सज़ा उम्र-कैद में तबदील कर इन्हें फरवरी १९१८ ई. में अंडमान और निकोबार में स्थापित सेलुलर जेल में भेज दिया गया। १९३० ई. में रिहा होकर भारत आए। पंजाब के लुधियाना ज़िले में स्थित गाँव सहौली में थे कि द्वितीय विश्व-युद्ध का बिगुल बज गया। पंजाब से ये कलकत्ता, असाम होते हुए बर्मा पहुँच गए और जपानियों के साथ मिल कर आज़ाद हिंद फ़ौज के लिए काम करना शुरू कर दिया। दूसरे विश्व-युद्ध की समाप्ति पर ये अपने गाँव शेरपुर में वापस आ गए।

स. अमर सिंघ नंदबोल : पंजाब के निवासी स. अमर सिंघ नंदबोल ग़दर लहर की सरगर्मियों में रुचि रखते थे। उम्र-कैद की सज़ा सुना कर इन्हें अंडमान भेज दिया गया। सेलुलर जेल के कैदियों से सम्बन्धित कुछ पुस्तकों में इनका ज़िक्र आता है, परन्तु जेल में पत्थरों पर उकेरित नामों में इनसे सम्बन्धित कोई विवरण नहीं मिलता।

स. इंदर सिंघ : ये लुधियाना ज़िले में स्थित गाँव मल्ला के निवासी स. आला सिंघ के पुत्र थे। पहले लाहौर साजिश केस में जायदाद ज़ब्त करने और उम्र-कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा काटने के लिए इनको अंडमान भेज दिया गया।

स. इंदर सिंघ (द्वितीय) : पंजाब के तरनतारन ज़िले में स्थित गाँव सुरसिंघ के निवासी स. मूला सिंघ के ये पुत्र थे। ये कामागाटामारू जहाज़ के यात्री थे। १९१४ ई. में इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। सेंट्रल जेल लाहौर में इन पर मुकद्दमा चलाया गया। नवंबर १९१५ ई. में इनकी जायदाद ज़ब्त कर उम्र-कैद की सज़ा सुनाई गई, जो कि बाद में घटा कर १० वर्ष कर दी गई। १९१६ ई. में इन्हें अंडमान और निकोबार की सेलुलर जेल में भेजा गया, जहाँ से १९२१ ई. में भारत की किसी अन्य जेल में तबदील कर दिया गया।

स. इंदर सिंघ (तृतीय) : पाकिस्तान पंजाब के लाहौर ज़िले में स्थित गाँव भसीन के निवासी स. गंडा सिंघ के ये पुत्र थे। प्रथम लाहौर साजिश केस में १३ सितम्बर, १९१५ ई. को उम्र-कैद की सज़ा सुनाई गई, जो कि बाद में १० वर्ष कर दी गई। सज़ा काटने के लिए इन्हें अंडमान भेज दिया गया, परन्तु लगभग ५ वर्ष के बाद २० अप्रैल, १९२० ई. को इन्हें रिहा कर दिया गया।

स. साउण सिंघ : ग़दर लहर से सम्बन्धित ये श्री अमृतसर साहिब ज़िले में स्थित गाँव चब्बा के निवासी स. खुशाल सिंघ के पुत्र थे। १९१५ ई. में प्रथम लाहौर साजिश केस में इन्हें पहले मौत की सज़ा सुनाई गई थी जो कि बाद में उम्रकैद में तबदील कर दी गई थी। सज़ा काटने के लिए इन्हें सेलुलर जेल में भेज दिया गया था, जहाँ इन्होंने बाबा जवाला सिंघ के नेतृत्व में जेलर द्वारा छुट्टी वाले दिन काम करवाए जाने का विरोध किया था, जिसके निष्कर्ष के तौर पर इन्हें छः महीने नाव में रहने की सज़ा सुनाई गई। १९२१ ई. में इन्हें भारत की किसी अन्य जेल में तबदील कर

दिया गया।

स. सुरजन सिंघ : ये पंजाब के लुधियाना ज़िले में स्थित गाँव गुजरवाल के निवासी स. महां सिंघ के पुत्र थे। ३० मार्च, १९१६ ई. को लाहौर सप्लीमेंटरी साजिश केस में जायदाद ज़ब्त करने और उम्र-कैद की सज़ा सुना कर इन्हें अंडमान भेज दिया गया।

स. सुरैण सिंघ : पंजाब के तरनतारन ज़िले की तहसील पट्टी के अधीन पड़ते गाँव शहबाज़पुर के निवासी स. नत्था सिंघ के ये पुत्र थे। ये गाँव में कृषि-कार्य करते हुए फ़ौज में भर्ती हो गए। फ़ौज से भाग कर इन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करना आरंभ कर दिया। १९१५ ई. में गिरफ्तार कर इन पर केस चलाया गया। जायदाद ज़ब्त कर इन्हें अंडमान और निकोबार में स्थापित सेलुलर जेल में भेज दिया, वहीं पर इनका निधन हो गया।

स. सूजा सिंघ : पंजाब के तरनतारन ज़िले में स्थित गाँव वलटोहा के निवासी स. खुशहाल सिंघ के ये पुत्र थे। लाहौर साजिश केस में इन्हें उम्र-कैद की सज़ा हुई थी। लाहौर, अंडमान और हज़ारी बाग़ आदि जेलों में सज़ा काट कर चार वर्ष बाद रिहा हो गए। १९३४ ई. में इनका निधन हो गया।

स. सुच्चा सिंघ : पंजाब के श्री अमृतसर साहिब ज़िले में स्थित गाँव चोला कलां के निवासी स. गुरदित्त सिंघ के ये पुत्र थे। १८८५ ई. में इनका जन्म हुआ। फ़ौज की २३वीं प्लाटून के ये सिपाही १९१६ ई. में द्वितीय लाहौर साजिश केस में पकड़े गए। ३० मार्च, १९१६ ई. को सज़ा सुना कर इन्हें काला पानी भेज दिया गया।

स. सोहण सिंघ भकना : श्री अमृतसर साहिब ज़िले के भकना गाँव के निवासी भाई करम सिंघ (शेरगिल्ल) के घर जनवरी, १८७० ई. में इनका जन्म हुआ। काम की खोज में ये अमेरिका चले गए थे और वहाँ भारतीयों के साथ होता भेदभाव देख कर इनके मन में आक्रोश पैदा हुआ। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसेफिक कोस्ट नाम की संस्था स्थापित कर इन्होंने भारतीयों को एक साझा प्लेटफार्म प्रदान किया, जो कि बाद में ग़दर पार्टी के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। इन्हें पार्टी का प्रथम अध्यक्ष प्रधान (फाउंडर प्रेज़िडेंट) बनाया गया। युगांतर आश्रम और ग़दर अख़बार की स्थापना कर इन्होंने भारतीयों के मन में देश-प्रेम की भावना पैदा की। कनाडा से वापस लौट रहे कामागाटामारू जहाज़ के साथ योकोहामा में संपर्क स्थापित कर इन्होंने बाबा गुरदित्त सिंघ को हथियार पहुँचाए थे। ये किश्ती के माध्यम से भारत पहुँचे। कलकत्ता पहुँचते ही इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था। १९१५ ई. में इन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। यह सज़ा-उम्र कैद में तबदील कर इनको अंडमान भेज दिया गया। ६ वर्ष बाद इन्हें अंडमान से मद्रास की कोयम्बटूर और फिर पूना की यारवदा जेल में तबदील कर दिया गया। १९३० ई. में इन्हें रिहा कर दिया गया। २१ दिसंबर, १९६८ ई. को श्री अमृतसर साहिब में इनका शरीरांत हो गया।

स. सज्जण सिंघ : पंजाब की लुधियाना जनपद

में स्थित गाँव नारंगवाल के निवासी स. मोहन सिंघ के घर में १८९९ ई. में इनका जन्म हुआ। ३० मार्च, १९१६ ई. को द्वितीय लाहौर साजिश केस में १० वर्ष की सज़ा सुना इन्हें अंडमान भेज दिया गया।

स. शेर सिंघ : पंजाब के तरनतारन ज़िले में स्थित गाँव वेईंपूईं के निवासी स. केसर सिंघ के घर १८८० ई. में इनका जन्म हुआ। ये गदरियों के उस जत्थे के नेता थे जो सबसे पहले कनाडा में से भारत के लिए रवाना हुआ था। विभिन्न देशों से आने वाले गदरी हाँगकाँग में इकठ्ठा हुए थे और इस लहर को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। स. शेर सिंघ इसके सदस्य चुने गए। सिंगापुर पहुँचने पर इन्होंने यहाँ काम कर रहे भारतीयों को ग़दर के लिए प्रेरित किया था। यहाँ से ये तोशामारू जहाज़ के माध्यम से कलकत्ता के बजबज घाट पर पहुँचे, तो इन्हें गिरफ़्तार कर प्रथम लाहौर साजिश केस के अधीन इन पर मुकद्दमा चलाया गया। १३ सितम्बर, १९१५ ई. को उम्र-कैद की सज़ा देकर इन्हें अंडमान भेज दिया गया। १९२१ ई. में इन्हें अंडमान से भारत की अन्य जेलों में तबदील किया जाता रहा। मद्रास, पूना, रत्नगिरि आदि जेलों में सज़ा काटने के उपरांत १८ वर्ष बाद ९९३३ ई. में इन्हें रिहा कर दिया गया। पंजाब लौट कर ये किसान मोर्चा के साथ जुड़े रहे और कई बार सरकार विरोधी तकरीरें करने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। दूसरे विश्व-युद्ध के दौरान १९४० में इन्हें राजस्थान के दयोली कैंप में कैद कर दिया गया, जहाँ से १९४३ ई. में रिहा हो गए।

स. शिंगारा सिंघ : इनसे सम्बन्धित बहुत कम विवरण मिलता है। कहा जाता है कि ये ग़दर लहर के सिपाही थे। साथियों सहित पकड़ कर इन पर मुकद्दमा चलाया गया। सज़ा सुना कर अंडमान भेज दिया गया। जेल के कैदियों से सम्बन्धित पत्थर पर इनका नाम उकेरा हुआ है।

स. शिव सिंघ : पंजाब के होशियारपुर ज़िले में स्थित गाँव कोटला के निवासी श्री मुनशी जी के ये पुत्र थे। १८८६ ई. में इनका जन्म हुआ। प्रथम लाहौर साजिश केस में इन पर मुकद्दमा चलाया गया। १३ सितम्बर, १९१५ ई. को इनकी जायदाद ज़ब्त करने और उम्र-कैद की सज़ा सुनाई गई जो कि बाद में १० वर्ष कर दी गई। सज़ा काटने के लिए इन्हें अंडमान भेज दिया गया।

स. हज़ारा सिंघ : ये पंजाब के श्री अमृतसर साहिब ज़िले के अधीन गाँव ददेहर के निवासी स. बेला सिंघ के पुत्र थे। १९१५ ई. में प्रथम लाहौर साजिश केस में उम्र-कैद की सज़ा सुना कर इन्हें अंडमान भेज दिया गया। जेल में इन्होंने बाबा जवाला सिंघ के नेतृत्व में जेलर द्वारा की जाती ज्यादतियों का विरोध किया, जिसके निष्कर्ष के तौर पर इन्हें छः महीने किश्ती में रहने की सज़ा सुनाई गई।

स. हज़ारा सिंघ (द्वितीय) : पंजाब के होशियारपुर ज़िल के अधीन गाँव भल्लरी के निवासी स. राजा सिंघ के ये पुत्र थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के ये सक्रिय

सदस्य थे। अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ चले राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। १९३१ ई. में श्री अमृतसर साहिब से गिरफ़्तार कर इन्हें लाहौर जेल भेज दिया गया। जेल से फ़रार होकर इन्होंने सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, परन्तु मद्रास बैंक साजिश केस में इन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर राजमुन्दरी जेल भेज दिया। इस जेल में से भी ये फ़रार हो गए, परन्तु जल्दी ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। १९३४ ई. में यहाँ से इन्हें अंडमान भेज दिया गया। १९३९ ई. में रिहा होने के पश्चात्त इन्होंने टाटानगर के कामगारों के लिए काम करना शुरू कर दिया और यहीं पर संघर्ष करते हुए इनका निधन हो गया। १९३२- १९३८ ई. के दौरान राजनीतिक कैदियों की सूची में पत्थर पर इनका नाम अंकित है।

स. हरनाम सिंघ टुंडीलाट : पंजाब के होशियारपुर ज़िले के अधीन गाँव कोटला के निवासी स. गुरदित्त सिंघ के ये पुत्र थे। बम बनाते समय इनके हाथ में एक बम फट गया था, जिस कारण इनका एक हाथ (बाज़ू) उड़ गया था। पुलिस से चोरी-छिपे इनका इलाज करवाया गया। एक हाथ न होने के कारण इनको टुंडीलाट कहा जाने लगा और इतिहास की किताबों में ये हरनाम सिंघ टुंडीलाट नाम से प्रसिद्ध हो गए। प्रथम लाहौर साजिश केस में इन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई, जो कि घटा कर उम्र-कैद में तबदील कर दी गई। १९१६ ई. में इन्हें अंडमान जेल में भेज दिया गया। ६ वर्ष अंडेमान और ९ वर्ष भारत की दूसरी जेलों में सज़ा काटने के पश्चात् मेडिकल के आधार पर १९३० ई. में इन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद १९४१ से १९४५ ई. तक इन्होंने फिर जेल की सज़ा काटी। १९६२ ई. में इनका देहांत हो गया।

स. हरदित्त सिंघ : पंजाब के लुधियाना ज़िले के अधीन गाँव लंमा जट्टपुरा के निवासी स. भगवान सिंघ के ये पुत्र थे। प्रथम मैंडले साजिश केस में गिरफ़्तार कर इन पर मुकद्दमा चलाया गया। २७ जुलाई, १९१६ ई. को उम्र-कैद की सज़ा सुना कर इन्हें अंडमान भेज दिया गया।

स. हरी सिंघ कक्कड : पंजाब के श्री अमृतसर साहिब ज़िले के गाँव कक्कड़ के निवासी स. अमर सिंघ के ये पुत्र शंघायी में चौकीदार की नौकरी किया करते थे। ग़दर लहर में भाग लेने के कारण इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और लाहौर साजिश केस में सज़ा सुना कर अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल में भेज दिया, जहाँ से जेल कमिशन की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें मद्रास की कोयम्बटूर जेल में तबदील कर दिया गया। यहाँ से इन्हें बाबा सोहण सिंघ भकना के साथ पूना की यारवदा जेल भेज में दिया गया था।

स. हिरदा सिंघ : पंजाब के इस सपूत को आज़ादी की लहर में भाग लेने के कारण गिरफ़्तार कर लिया गया और सज़ा सुना कर अंडमान भेज दिया। जेल में लगे हुए कैदियों के नाम वाले पत्थर पर इनका नाम उकरा हुआ है।

श्री हिरदा (हृदय) राम : ये मंडी रियासत के निवासी श्री गज्जण सिंघ के पुत्र थे। प्रथम लाहौर साजिश केस में सज़ा सुना कर इन्हें अंडेमान भेज

दिया गया। ('अकाली मोर्चे ते झब्बर' पुस्तक में इनको होशियारपुर का निवासी बताया गया है।)

स. कपूर सिंघ : पंजाब के लुधियाना ज़िले के गाँव मोही के निवासी स. मित्त सिंघ के ये पुत्र थे। ख़ुशहाल जीवन की आशा में भारत छोड़ कर अमेरिका चले गए थे। देश-भक्ति की भावना के अधीन अमेरिका के फ्रांसिस्को शहर में अपनी ज़मीन-जायदाद छोड़ कर भारत आ गए। प्रथम मैंडले साजिश केस में इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और २७ जुलाई, १९१६ ई. को उम्र-कैद की सज़ा सुना कर अंडमान भेज दिया गया।

स. करतार सिंघ झब्बर: वर्तमान पाकिस्तान के शेखूपुरा ज़िले के गाँव झब्बर के निवासी स. तेजा सिंघ के घर १८७४ ई. में इनका जन्म हुआ था। इनके दादा स. मंगल सिंघ महाराजा रणजीत सिंघ की सेवा में थे। गुरबाणी की लगन और सिक्ख इतिहास की जानकारी के लगाव ने इनके मन में योद्धाओं वाले गुण पैदा कर दिए थे। १९१९ ई. में घटित जलियां वाला बाग़ के साके ने इनके मन पर गहरा प्रभाव डाला और इन्होंने सरकार विरोधी प्रदर्शनों व रैलियों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। सरकार-विरोधी भाषणों और गतिविधियों के दोष में मई १९१९ ई. में मार्शल लॉ के अधीन उम्र-कैद की सज़ा सुना कर पहले इन्हें पंजाब की जेलों में रखा गया फिर अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। सेलुलर जेल में इनकी जिन कैदियों के साथ प्रमुख रूप से मुलाकात हुई, वे थे– मास्टर कृपा राम, श्री हृदय राम, भाई कपूर सिंघ, भाई परमानन्द, भाई ऊधम सिंघ, स. हरदित्त सिंघ लंमेवाला, बाबा निधान सिंघ चुघेवाला आदि। जलियां वाला बाग़ की घटना के बाद पंजाब में पैदा हुए हालात के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हंटर कमिशन स्थापित किया गया था। इस कमिशन की रिपोर्ट के बाद उम्र-कैद की सज़ा काट रहे कैदियों की सज़ा घटा कर ७ साल कर दी गई थी और शाही उदारता के कारण १९२० ई. में सभी कैदी रिहा कर दिए गए थे। स. करतार सिंघ झब्बर और उनके साथी रिहा होकर पंजाब लौट आए थे। रिहाई के उपरांत इन्होंने गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर में भाग लेकर विलक्षण योगदान दिया और आज़ादी के बाद २० नवंबर, १९६२ ई. को इनका देहांत हो गया। जेल में कैदियों की सूची का प्रकटावा करते पत्थरों पर इनका नाम दर्ज नहीं है।

स. करतार सिंघ : पंजाब में लुधियाना के निवासी स. बिशन सिंघ के पुत्र थे। स. जगजीत सिंघ ने इन्हें पटियाला के निवासी बताया है। प्रथम लाहौर सप्लीमेंटरी केस में जायदाद ज़ब्त करने और उम-कैद की सज़ा सुना कर इन्हें अंडमान भेज दिया गया था।

स. काला सिंघ : पंजाब के तरनतारन ज़िले के गाँव सुरसिंघ के निवासी स. घसीटा सिंघ के ये पुत्र थे। ख़ुशहाल जीवन की आशा में अमेरिका गए परन्तु देश की आज़ादी की तड़प वापस भारत खींच लाई। ग़दर लहर में भाग लेने के कारण इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। १९१५ ई. के प्रथम लाहौर साजिश केस में इनकी जायदाद

ज़ब्त कर उम्र-कैद की सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा काटने के लिए इन्हें अंडमान की जेल में भेज दिया था। १९२१ ई. में इन्हें भारत की किसी अन्य जेल में तबदील कर दिया गया।

स. काला सिंघ (द्वितीय) : ये श्री अमृतसर साहिब के निवासी स. गुलाब सिंघ के पुत्र थे। प्रथम लाहौर साजिश केस में इन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जो कि वायसराय ने उम्र-कैद में बदल दी थी। १९१६ ई. में इन्हें अंडमान जेल भेज दिया गया था।

स. केसर सिंघ : पंजाब के श्री अमृतसर साहिब ज़िले के गाँव ठट्ठगढ़ के निवासी स. भूप सिंघ के ये पुत्र थे। ग़दर पार्टी के प्रभावाधीन ये अमेरिका से पंजाब वापस आए थे। ग़दर लहर की गतिविधियों में भाग लेने के कारण इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। लाहौर साजिश केस में १३ सितम्बर, १९१५ ई. को इनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी। वायसराय ने यह सज़ा उम्र-कैद में बदल दी थी। तत्पश्चात्त इन्हें अंडमान जेल भेज दिया गया।

स. केहर सिंघ : पंजाब के तरनतारन ज़िले के गाँव मरहाणा के निवासी स. निहाल सिंघ और बीबी चंद कौर के ये पुत्र थे। १८९२ ई. में इनका जन्म हुआ। समृद्ध जीवन की चाह में ये अमेरिका जा बसे और ग़दर पार्टी के सदस्य बने। पार्टी के बुलावे पर भारत वापस आकर इन्होंने ग़दर पार्टी की गतिविधियों में भाग लेना आरंभ कर दिया। इनके पास से तीन पिस्तौल, तीन बम तथा असला बरामद हुआ बताया जाता है। १९१५ ई. में प्रथम लाहौर साजिश केस के अधीन गिरफ़्तार कर इनकी जायदाद ज़ब्त कर ली और उम्र-कैद की सज़ा देकर अंडमान भेज दिया गया, जहाँ इनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, जिसके निष्कर्ष के तौर पर १९२० ई. में इनका देहांत हो गया था।

स. केहर सिंघ (द्वितीय) : पंजाब के फ़िरोज़पुर ज़िले के गाँव रोडा के निवासी स. भान सिंघ के ये पुत्र थे। १९१५ ई. में प्रथम लाहौर साजिश केस में मुकद्दमा चला कर पहले मौत की सज़ा सुनाई गई और फिर यह सज़ा उम्र-कैद में बदल कर इन्हें अंडमान भेज दिया गया। इस समय इनकी आयु ३६ वर्ष थी।

स. केहर सिंघ (तृतीय) : पंजाब के तरनतारन ज़िले के गाँव सरहाली के निवासी स. भगत सिंघ के ये पुत्र थे। स. जगजीत सिंघ इन्हें अमृतसर के ढोटियां गाँव के निवासी बताते हैं। केसरी सिंघ या केसर सिंघ आदि नामों से जाने जाते ये नौजवान फ़ौज के २३वें रिसाले से सम्बन्धित थे। इनकी आयु अभी २७ वर्ष थी कि फ़ौज के इस रिसाले में बग़ावत के दोष के अधीन इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। १९१५ ई. में दगशयी में इनका कोर्ट मार्शल हुआ और १९ अगस्त, १९१५ ई. को उम्र-कैद की सज़ा देकर अंडमान भेज दिया।

क्रमशः . . .

काटि सिलक प्रभि सेवा लाइआ : भगत पूरन सिंघ

*-डॉ. सत्येन्द्र पाल सिंघ**

'सेवा' किसी निर्मल हृदय वाले मनुष्य का परम गुण है जो उसे परमात्मा से प्राप्त होता है। अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना समय नि:स्वार्थ भाव से किसी अन्य के हित में लगा देना तभी संभव है जब जीवन का अर्थ समझ आ जाये। यह परमात्मा के मार्ग पर चलना प्रकट करता है। जब मनुष्य का पूरा जीवन ही निष्काम सेवा को समर्पित हो जाये तो परमात्मा की कृपा और निकटता प्रकट होती है। सिक्ख धर्म में सेवा को परमात्मा-भक्ति के एक स्तम्भ के रूप में स्वीकार किया गया है। सेवा का अवसर भी किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है :

सेवक कउ सेवा बनि आई ॥
हुकमु बूझि परम पदु पाई ॥ (पन्ना २९२)

सेवा का अवसर मिलना एक बड़ी उपलब्धि की तरह है, माया, विकारों में उलझे और दुख भोग रहे संसार में मनुष्य न तो अपना हित समझ पा रहा है, न दूसरों का। जो व्यक्ति अपने प्रति संवेदनशील नहीं है वह समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व कैसे समझेगा ! श्री गुरु नानक साहिब ने किसी एक व्यक्ति, एक वर्ग का नहीं, पूरे मानव समाज के उद्धार का संकल्प प्रकट किया। उन्होंने सिद्धों से कहा था कि आप लोग तो समाज से नाता तोड़ पर्वतों पर आ बैठे हो। धर्म का सरोकार पूरी मानवता और मनुष्य के जीवन के सभी प्रश्नों के साथ जुड़ा हुआ है। सभी का प्रतिपालन परमात्मा का गुण है। सिक्ख की भक्ति परमात्मा जैसा ही बनने की है। भक्त कबीर जी ने कहा कि हरि (परमात्मा) का जन बनना है तो हरि जैसा ही बनना पड़ेगा। यह परमात्मा की कृपा से ही संभव होता है। परमात्मा ही अपने जैसे गुण देता है और सेवा में रत रहने की प्रेरणा पैदा करता है। वही सारी दुविधायें, शंकायें और संकोच दूर करता है तथा धर्म के मार्ग पर अग्रसर करता है। श्री गुरु नानक साहिब की बाणी ने भाई लहिणा जी की सारी दुविधा दूर की और वे अनथक सेवा से गुरुआई के अधिकारी बन गये। श्री गुरु अमरदास जी और श्री गुरु रामदास जी के पूर्व के जीवन भी सेवा ने ही बदले। इससे सिक्ख धर्म में सेवा की महानता स्थापित हुई। श्री गुरु गोबिंद सिंघ जी के काल तक आते-आते लंगर एक प्रमुख संस्था बन चुकी थी, जिसने एक तरह से सिक्खों में सेवा-भावना विकसित करने की पाठशाला का काम किया। भाई घन्हईआ जी ने श्री गुरु गोबिंद सिंघ जी की प्रेरणा से सेवा-कार्य को एक नया आयाम दिया। सेवा की यह महान परंपरा गुरु साहिबान के बाद भी गुरबाणी की प्रेरणा से निरंतर सिक्ख धर्म का गौरव बनती गई है। इस परंपरा में आधुनिक काल में भगत पूरन सिंघ का नाम प्रमुखता से उभरता है। उनका नाम पिंगलवाड़ा संस्था के साथ इस तरह

**ई-१७१६, राजाजी पुरम, लखनऊ-२२६०१७, फोन : ९४१५९-६०५३३, ८४९७८-५२८९९*

जुड़ गया है कि दोनों एक दूसरे के समानार्थी हो गये हैं।

गुरबाणी में एक सिक्ख को परमात्मा के दास, गुरु के हुक्म-पालक, संगत के सेवक और पूरी मानवता के हित-चिंतक के रूप में देखा गया है। इससे सेवा का क्षेत्र अनंत हो गया है जो पूर्ण समर्पण के बिना संभव नहीं है। इसी कारण सेवा को समर्पण के साथ जोड़ कर देखा गया। गुरबाणी के अनुसार पूर्ण समर्पण ही गुरसिक्ख को सेवा के योग्य बनाता है– ''मनु बेचै सतिगुर कै पासि ॥ तिसु सेवक के कारज रासि ॥'' गुरसिक्ख अपना तन, मन वाहिगुरु को अर्पित कर स्वयं को गुरु की आज्ञा का दास बना लेता है। वह अपनी बुद्धि, चतुरता, कौशल त्याग कर वाहिगुरु की मति धारण कर लेता है। वाहिगुरु उसे अपना जन बना लेता है और सत्य का मार्ग दिखाता है। सत्य का मार्ग ही नहीं दिखाता, मार्ग में आने वाली सभी बाधायें भी दूर करता है। वाहिगुरु से प्राप्त सामर्थ्य और शक्ति से ही वह अपने संकल्प को पूरा कर पाता है। परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले लोग जब मानव समाज के उत्थान के लिये असंभव को संभव कर दिखाते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि में परमात्मा की कृपा के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। भगत पूरन सिंघ का जीवन इसका सशक्त प्रमाण है।

सरल, सहज, सौम्य व्यक्तित्व के धनी और सादगी की मूर्ति भगत पूरन सिंघ का जन्म एक सम्पन्न परिवार में ४ जून, सन् १९०४ को लुधियाना जिले के राजेवाल गांव में हुआ था। आपके पिता लाला श्री छिब्बू मल्ल और माता श्रीमती महिताब कौर ने उनका नाम श्री रामजी दास रखा। भगत जी पर उनकी माता का विशेष प्रभाव पड़ा जो धार्मिक प्रवृत्ति की संवेदनशील और दयालु महिला थीं। आरंभ से ही उन्होंने अपनी माता को दुखी और असहाय लोगों की मदद करते देखा। वैसे ही संस्कार उनमें विकसित होते चले गये। उनके पिता लाला छिब्बू मल्ल भी बड़े उदार स्वभाव के थे। भगत पूरन सिंघ की जीवनी के लेखक सरदार अमरीक सिंघ (भाटिया) ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब अकाल पड़ा तो लाला छिब्बू मल्ल ने अपने गोदाम का सारा अनाज मुफ्त में बांट दिया था। इस माहौल से शिक्षा प्राप्त करते हुए जब भगत जी किशोर वय के हुए तो अपने पिता के व्यापार में सहयोग करने के स्थान पर आगे पढ़ने की तैयारी में लग गये, किन्तु नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। भगत जी के पिता परलोक सिधार गये। उनकी संपत्ति संबंधियों ने हड़प ली। भगत जी और उनकी माता जी बेघर और मोहताज हो गये। इस घोर विपत्ति में भगत पूरन सिंघ अपना गांव छोड़ लाहौर चले गये, जो उनके लिये एकदम अपरिचित स्थान था। लाहौर में उन्हें श्री गुरु अरजन साहिब की शहीदी की स्मृति में बनाये गये गुरुद्वारा डेहरा साहिब में आश्रय मिला। युवा हो रहे भगत पूरन सिंघ को गुरुद्वारे के लंगर में काम मिल गया। इस स्थान पर रहते हुए जब सिक्ख धर्म की महानता का ज्ञान हुआ तो भगत जी ने सिक्ख धर्म धारण कर लिया और रामजी दास से सरदार पूरन सिंघ बने। जीवन अभाव में किसी तरह चल रहा था कि दुर्भाग्य ने नया रूप दिखाया। उनकी माता जी, जो अस्वस्थ थीं, काल का ग्रास बन गईं। अब भगत पूरन सिंघ

अकेले रह गये। सन् १९३४ में उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। एक दिन गुरुद्वारे की दीवार के पास एक चार वर्ष का मूक, विकृत बालक उन्हें मिला, जिसे उस बालक के पिता छोड़ कर चले गये थे। भगत जी उसकी अवस्था देख द्रवित हो उठे और उसकी देखभाल का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। वे बालक को स्नान कराते और भोजन खिलाते । अब भगत जी ने उस बालक की सेवा को अपना ध्येय बना लिया। वे अपने कंधों पर उस बालक को उठा कर बाज़ारों, गलियों से गुजरते तो लोगों के मन में भगत जी के प्रति आदर का भाव उमड़ता। उस बालक को भगत जी 'पिआरा सिंघ' कह कर संबोधित करने लगे। स. अमरीक सिंघ (भाटिया) के अनुसार, भगत पूरन सिंघ के जीवन में शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण था। वे चाहते हुए भी अपनी औपचारिक शिक्षा जारी नहीं रख सके थे, जिसकी कमी उन्होंने स्वाध्याय से पूरी की। पिआरा सिंघ की सेवाश्रूषा से जो समय मिलता उसका सदुपयोग वे पुस्तकें पढ़ने में करते। महान विद्वानों की पुस्तकें पढ़ने का शौक उन्हें जीवन भर रहा। भगत जी कहते थे कि वे जो कुछ हैं, अध्ययन के कारण हैं।

भगत पूरन सिंघ को एक बार पुन: विस्थापन झेलना पड़ा। भारत-विभाजन के बाद वे लाहौर छोड़ पिआरा सिंघ के साथ श्री अमृतसर साहिब आ गये। पिआरा सिंघ उस समय १७ वर्ष का हो चुका था। श्री अमृतसर साहिब के खालसा कॉलेज में बने शरणार्थी कैम्प में रहते हुए जब हैज़ा की महामारी फैल गई तो भगत जी ने आगे बढ़ कर सेवा-कार्यों में भाग लिया। यह ऐसा समय था जब वे अपने जीवन की दिशा तय कर चुके थे। वैसे उनके मिशन का आरंभ तो पिआरा सिंघ को अपने घर ले आने से ही आरंभ हो चुका था। उनकी वास्तविक कर्मभूमि श्री अमृतसर साहिब बन गई। खालसा कॉलेज का कैंप जब बंद हो गया तो उनके सड़क पर रहने की नौबत आ गई। डॉ. रूप सिंघ ने अपने एक लेख में लिखा है कि भगत जी ने कुछ समय रेलवे स्टेशन पर और पेड़ों के नीचे गुजारा। बहुत-से असहाय लोग भगत पूरन सिंघ की सेवा और उनका समर्पण देख कर उनकी शरण में आने लगे थे। बाद में वे एक बंद पड़े सिनेमा हॉल में रहने और असहाय, अपंग लोगों की देखभाल करने लगे। जब यह बिल्डिंग बिकने लगी तो भगत जी को वह स्थान छोड़ना पड़ा था। सन् १९५० में पंजाब सरकार ने उनके सेवा-कार्यों की महानता को देखते हुए भूमि उपलब्ध कराई, जहां से 'पिंगलवाड़ा' संस्था की नींव पड़ी। सरदार अमरीक सिंघ (भाटिया) के अनुसार, इस बीच एक सहयोगी श्री देसराज उनसे जुड़ चुके थे। दिन भर भगत जी पिंगलवाड़ा के लोगों की सेवा में लगे रहते। अस्पताल ले जाकर उनका इलाज कराते, भोजन का प्रबंध करते, किन्तु रात्रि में सोने से पूर्व उनका स्वाध्याय का क्रम जारी रहता। यह भगत जी के व्यक्तित्व का सबसे अद्‌भुत पक्ष था। कहते हैं कि उनका सबसे कम ध्यान अपने शरीर पर रहता है।

पिंगलवाड़ा में वार्ड और कमरों की आवश्यकता थी, जिस हेतु धन एकत्र करना था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने भरपूर राशि अनुदान दी और सिक्ख संगत से सहायता की अपील के लिये

श्री दरबार साहिब परिसर में बड़े-बड़े बोर्ड लगाने की अनुमति भी दे दी। डॉ. इंदरजीत कौर ने इस संबंध में भगत जी के कथन का संदर्भ दिया कि ''मुझे खुशी है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पिंगलवाड़ा के लंगर के लिये सहायता डेढ़ लाख रुपये वार्षिक कर दी है।'' इससे एक तो भगत जी के महान सेवा-कार्यों की दूर-दूर से आने वाली संगत को जानकारी हुई और पिंगलवाड़ा के कार्यों में बड़ा सहयोग भी मिला। ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ने लगी जो अपने असाध्य रोगों- कुष्ठ, विकलांगता आदि के कारण समाज ही नहीं, अपने परिवार द्वारा भी ठुकराये लोग थे। जिनके निकट भी कोई नहीं जाना चाहता था, यहां उन्हें स्वीकार्यता, प्यार तथा संरक्षण भी मिलने लगा और उनके रोगों का उपचार भी होने लगा।

आवश्यकता और रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पिंगलवाड़ा का विस्तार भी समय-समय पर हुआ और शाखायें भी खोली गईं। भगत पूरन सिंघ के सेवा-कार्यों की चर्चा देश में ही नहीं, विदेशों में भी होने लगी। पिंगलवाड़ा एक संस्था नहीं, भगत जी का जीवन थी। तन और जीवन मिथ्या है यदि उसमें उपकार, सेवा की भावना नहीं है।

मिथिआ तन नही परउपकारा ॥ (पन्ना २६९)

भगत जी का जीवन एक ऐसे महान उपकार को समर्पित था जहां सेवा की सबसे अधिक आवश्यकता थी और यह संवेदना के बिना संभव नहीं था। भगत पूरन सिंघ इस क्षेत्र के महान नायक के रूप में उभरे। उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने सन् १९७९ में पदमश्री सम्मान प्रदान किया था। उल्लेखनीय है कि जून, १९८४ में भारत सरकार द्वारा श्री दरबार साहिब पर किये गए फौजी हमले से बुरी तरह से आहत भगत जी ने पदमश्री पुरस्कार लौटा दिया था। यह उनकी निर्भीकता और स्पष्ट चिंतन का प्रतीक था। भगत जी का मानव-समाज और जीवन के बारे में अपना दृष्टिकोण था, जिसे वे व्यक्त करते रहते थे। पिंगलवाड़ा द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक में भगत जी के महत्वपूर्ण कथन पढ़ने को मिलते हैं, जिनमें निम्न आज भी प्रासंगिक हैं :-

१. प्राकृतिक स्त्रोतों का संरक्षण करो !

२. सादा जीवन व्यतीत करो !

३. अधिकाधिक वृक्ष लगा कर मानवता की सेवा करो !

४. खादी का कपड़ा पहन कर बेरोजगारी दूर करने में योगदान करो !

५. डीजल और पेट्रोल की न्यूनतम खपत करो !

६. बढ़ती आबादी को रोकने के लिये संयमित जीवन जीयो !

७. पशुओं की रक्षा के लिये मन में दया रख कर प्रयास किये जायें !

भगत पूरन सिंघ के इन विचारों से प्रकट होता है कि अपने मिशन को समर्पित होने के साथ-साथ ही वे सामाजिक स्थितियों के प्रति कितने जागरूक और यत्नशील थे। उनका स्वप्न एक आदर्श और सुखी समाज का था। उनका विचार था कि मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजे सभी सेवा के लिये खोल देने चाहिये। अपने सारे संसाधन सेवा-कार्यों में लगा देने चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वे परमात्मा से दूर रहते हैं, चाहे वे अपने धर्म की विशेषताओं के कितने ही दावे करते रहें। भगत जी

की यह सोच बहुत महत्वपूर्ण है।

अपने कार्यों के लिये भगत पूरन सिंघ जी सदैव वाहिगुरु को श्रेय देते थे। उन्होंने कहा कि जन्म से ही वाहिगुरु ने मुझे पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त रख संसार के लंबे-चौड़े क्षेत्र में प्राणी-मात्र की सेवा के लिये एक फकीर के रूप में तैयार किया है। उनका सारा जीवन एक फकीर की भांति ही गुजरा, उस समय भी जब वे माता-पिता की मृत्यु के बाद एकदम अकेले रह गये थे और उस समय भी जब वे एक विशाल संस्था के मुखी बन हजारों-लाखों लोगों का सहारा बन गये थे। आज पिंगलवाड़ा एक विशाल और पंजीकृत संस्था है, जिसकी कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका सहित ९ देशों में शाखायें विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं। नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुल रोगियों की संख्या १८०४ है, जो पिंगलवाड़ा में रह रहे हैं। रोगियों में सबसे अधिक मानसिक रोगी और कुष्ट रोगी हैं। यह संस्था समाज-सेवा के अन्य क्षेत्रों में भी कार्य कर रही है। एक चार वर्षीय बालक पिआरा सिंघ की सेवा से आरंभ हुआ भगत जी का मिशन इतने बड़े स्तर पर जा पहुंचा है, यह देख कर कोई भी आश्चर्यचकित रह जाता है। इसके पीछे परमात्मा का विधान ही काम कर रहा है। इसे स्वयं भगत जी भी स्वीकार करते थे और प्रायः गुरबाणी के प्रमाण देते थे। परमात्मा ने ही उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं और ऐसे द्वार खोलते गये कि भगत पूरन सिंघ के जीवन को एक निश्चित दिशा मिलती चली गई। वे अपने जीवन में ही अनगिनत बेसहारों के मसीहा बन गये। आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि ''पिंगलवाड़ा भगवान का ऐसा मंदिर है, जहां न तो भगवान की कोई मूर्ति स्थापित है और न कोई अन्य धार्मिक प्रतीक-चिन्ह है।''

यह भगत पूरन सिंघ की सेवा का एक महान सम्मान था। भगत जी एक कुशल लेखक भी थे। पंजाबी, हिन्दी, अंग्रेजी में उन्होंने काफी कुछ लिखा और प्रकाशित किया। उनका अपना प्रिंटिंग प्रेस भी था, जिसका नाम पूरन प्रिंटिंग प्रेस था। उन्होंने अपने जीवन के बारे में भी बहुत कुछ लिखा, जिससे पता चलता है कि वे अपनी माँ से बहुत प्रेरित थे।

भगत पूरन सिंघ ने तन, मन से समर्पित हो जिस मिशन को आगे बढ़ाया, वह अपनी सार्थकता सिद्ध करने लगा था। इधर उनकी ऊर्जा और बल भी नब्बे का दशक आते-आते घटने लगा था। इस बीच वे अपने उत्तराधिकारी के रूप में डॉ. इंदरजीत कौर का चयन कर चुके थे, जिन्होंने पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई की थी और आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प ले चुकी थीं। २ जून, सन् १९९२ ई. को अचानक भगत जी की तबीयत बिगड़ी, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया, किन्तु उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः ५ अगस्त, १९९२ ई. को उनके जीवन का दीप अपना मिशन पूरा कर बुझ गया। ऐसे महापुरुष कभी-कभी ही धरती पर जन्म लेते हैं और अपने महान कार्यों के प्रकाश से संसार को सदा के लिए प्रकाशित कर जाते हैं।

झिमि झिमि वरसै अंम्रित धारा।।

*-डॉ. मनजीत कौर**

गुरबाणी रहमतों का भण्डार है। ईश्वर का नाम अमृत-धारा है, जो निरंतर प्रवाहित है। गुरु पंचम पातशाह, जिन्हें बाणी का बोहित (जहाज) कहा गया है, उनका पावन फरमान है :

सभ किछु घर महि बाहरि नाही ॥
बाहरि टोलै सो भरमि भुलाही ॥
गुर परसादी जिनी अंतरि पाइआ
सो अंतरि बाहरि सुहेला जीउ ॥१ ॥
झिमि झिमि वरसै अंम्रित धारा ॥
मनु पीवै सुनि सबदु बीचारा ॥
अनद बिनोद करे दिन राती
सदा सदा हरि केला जीउ ॥. . .
कहु नानक भ्रम कटे किवाड़ा
बहुड़ि न होईऐ जउला जीउ ॥ *(पन्ना १०२)*

श्री गुरु अरजन देव जी माझ राग में उपरोक्त पावन शबद का उच्चारण कर गुरबाणी की रहमतों और बरकतों का जिक्र करते हुए समझाते हैं कि सब कुछ वास्तव में जीव के अपने अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं। प्रभु को बाहर ढूंढने वाले भ्रमित होकर भटकते ही रहते हैं। गुरु-कृपा से जिन्होंने अपने अन्त:करण अर्थात् अन्तर्मन में ही प्रभु को पा लिया है, वे बाहर-भीतर से सुखी हो जाते हैं। प्रभु-नाम की अमृत-धारा रिमझिम-रिमझिम बरसती रहती है और मानव मन शबद के विचार के माध्यम से उसे पीता रहता है अर्थात् परमेश्वर के नाम को आत्मसात करता रहता है। तब यह मन दिन-रात अर्थात् निरंतर आनंद-विनोद में लगा रहता है। शबद की विचार के फलस्वरूप जन्म-जन्म के बिछड़े हुए जीव का मिलाप प्रभु-चरणों से हो जाता है। संत-जनों की कृपा से व्यक्ति का निष्ठुर हुआ हृदय भी हरा-भरा अर्थात् निर्मल हो जाता है। गुरु द्वारा प्राप्त श्रेष्ठ मति (सुमति) के फलस्वरूप प्रभु-नाम का सिमरन करता हुआ मनुष्य गुरमुख बन कर हरि-मिलाप हासिल कर लेता है।

जैसे नदी के पानी की लहर उस नदी से उठकर फिर उसी (पानी) में ही विलीन हो जाती है, वैसे ही गुरु की शरण में आकर सिमरन करने से मनुष्य की सुरत प्रभु की ज्योति में मिली रहती है।

पावन गुरबाणी धुर दरगाह से आई है, अत: मनुष्य को समस्त चिन्ताओं से मुक्त करने में समर्थ है। इस संदर्भ में गुरबाणी का संदेश है :

धुर की बाणी आई ॥
तिनि सगली चिंत मिटाई ॥
दइआल पुरख मिहरवाना ॥

**२/१०४, जवाहर नगर, जयपुर-३०२००४, फोन : ९९२९७-६२५२३*

हरि नानक साचु वखाना ॥ (पन्ना ६२८)

इस पावन बाणी की रहमतों के पात्र बनने हेतु हमें गुरबाणी को प्रेमपूर्वक, श्रद्धा-भावना से पढ़-सुन कर अमल में लाने की जरूरत है, जिसके परिणामस्वरूप समस्त दुख-दरिद्र एवं चिंता-संताप दूर हो जाते हैं तथा हृदय-घर में सुखों का प्रवेश हो जाता है। गुरबाणी का प्रमाण है :

गावीऐ सुणीऐ मनि रखीऐ भाउ ॥
दुखु परहरि सुखु घरि लै जाइ ॥ (पन्ना २)

गुरबाणी सुखों का अथाह भंडार है। गुरबाणी आशयानुसार जीवन-जाच बनाने से जीवन आनंद भरपूर हो जाता है, यथा:

गुरबाणी गावह भाई ॥
ओह सफल सदा सुखदाई ॥ (पन्ना ६२८)

गुरबाणी की बरकतों से हृदय कमल सदृश्य खिला रहता है :

अंम्रित बाणी ततु है गुरमुखि वसै मनि आइ ॥
हिरदै कमलु परगासिआ जोती जोति मिलाइ ॥
(पन्ना १४२४)

श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अमृतमयी बाणी समूची मानवता हेतु नवजीवन का संचार कर जीवन जीने की सुंदर कला सिखाती है तथा संसार-समुद्र में डूब रही मानवता को जहाज रूप होकर पार भी लगाती है। श्री गुरु अरजन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना का महान कार्य भी किया, कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु उनके इस परोपकार के लिए भक्त साहिबान ने उनकी उपमा गायन करते हुए कितना सार्थक लिखा है। भट्ट मथरा जी का कहना है :

कलजुगि जहाजु अरजुनु गुरू
सगल स्रिस्टि लगि बितरहु ॥ (पन्ना १४०८)

अर्थात् समूची मानवता को कलियुग में भवसागर से पार उतारने वाले श्री गुरु अरजन देव जी हैं। हे लोगो ! तुम उनके चरण-कमलों से लग कर सही सलामत भवसागर से पार उतर जाओ !

वर्तमान में मनुष्य भौतिक उन्नति के शिखर पर पहुंच कर सुखों के अनंत साधन प्राप्त करने के उपरान्त भी मानसिक रूप से तनावग्रस्त है। मानसिक अशांति का कारण दर्शाते हुए गुरबाणी का संदेश है :

आहर सभि करदा फिरै आहरु इकु न होइ ॥
नानक जितु आहरि जगु उधरै विरला बूझै कोइ ॥
(पन्ना ९६५)

गुरबाणी के अनुसार जीवन बनाने के फलस्वरूप मोह के माया-जाल से निकल कर मनुष्य प्रेम का मार्ग अपनाता है। उसके अंदर सच्चे प्रेम के जज्बात पैदा हो जाते हैं। जब सर्वोत्तम रस ईश्वर नाम रूप अमृत से आने लग गया तो उसके समक्ष बाकी सब रस नीरस प्रतीत होने लगेंगे। भक्त शेख फरीद जी ने अनुभव किया और समूची मानवता को समझाया कि बेशक शक्कर, खांड, मिश्री, दूध, गुड़, शहद आदि पदार्थ मीठे हैं, मगर इनकी मिठास नाम-रस तक नहीं पहुंच सकती। नाम-रस अनमोल है। भक्त शेख फरीद जी की इस संदर्भ में उच्चारण की गई बाणी है :

फरीदा सकर खंडु निवात गुड्ड
माखिओ मांझा दुधु ॥

सभे वसतू मिठीआं रब न पुजनि तुधु ॥

(पन्ना १३७९)

गुरबाणी की रहमतों की बदौलत जीव बंदगी का गुमान (अहंकार) नहीं करता, अपितु शक्ति-बल-सामर्थ्य के होते हुए भी विनम्र रहता है। वह अगर कुछ देने योग्य न भी हो तो अपना हिस्सा ही बांट लेता है, साथ ही दूसरों की भावनाओं की कद्र करता है। गुरबाणी का फरमान है :

मति होदी होइ इआणा ॥
ताण होदे होइ निताणा ॥
अणहोदे आपु वंडाए ॥
को ऐसा भगतु सदाए ॥ *(पन्ना १३८४)*

पूर्ण पुरुष ईश्वर के बहुत करीब होते हुए भी किसी को भेद नहीं देते। भक्त शेख फरीद जी की पावन बाणी है :

होनि नजीकि खुदाइ दै भेतु न किसै देनि ॥

(पन्ना १३८४)

वस्तुतः गुरबाणी आशयानुसार गुरु-कृपा से जिस जीव का जीवन बन जाता है उसका पंच भौतिक शरीर विकारों की गिरफ्त से सहजता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि पांच विकारों- काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर गुरु का अंकुश रहता है, जीवन रूपान्तरित हो जाता है।

काम- संयम में बदल जाता है।
क्रोध- शूरवीरता में बदल जाता है।
लोभ- संतोष में बदल जाता है।
मोह- प्रेम में बदल जाता है।
अहंकार- विनम्रता में बदल जाता है।

पावन बाणी का संदेश है :

गुरमति पंच दूत वसि आवहि
मनि तनि हरि ओमाहा राम ॥ *(पन्ना ६९९)*

अमृतमयी बाणी ही मनुष्य को उसके बेशकीमती जीवन-मनोरथ (लक्ष्य) का हर पल स्मरण करवाती है। पंचम पातशाह श्री गुरु अरजन देव जी का इस संदर्भ में पावन संदेश है :

भई परापति मानुख देहुरीआ ॥
गोबिंद मिलण की इह तेरी बरीआ ॥
अवरि काज तेरै कितै न काम ॥
मिलु साधसंगति भजु केवल नाम ॥

(पन्ना ३७८)

आओ! मिलकर अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों में अरदास करें! गुरबाणी आशयानुसार हमारा जीवन बने और रिमझिम बरसती पावन इलाही बाणी की अमृत-धारा हमारे मन-तन को सदैव आनन्दमयी बनाए रखे! समूची मानवता की झोली अमृतमयी इलाही बाणी की रहमतों से भरपूर रहे! संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन-मनोरथ में सफल हो! बस, यही दुआ है यही फरियाद है, यही अरदास है!

गुरबाणी हो कवच हमारा!
वहम भ्रम मिट जाए सारा!
विकारों से हो जाए किनारा!
एक ईश्वर का हो बस, सहारा!

माइआ मोहु सभु दुखु है

*-डॉ. परमजीत कौर**

साधारण रूप से धन-पदार्थ आदि को ही माया कहा जाता है, मगर माया का अर्थ केवल रुपए-पैसे, धन-सम्पदा नहीं है। भाई कान्ह सिंघ नाभा के अनुसार :-

''रुपये-पैसे का नाम माया नहीं है। न इसका त्याग करके माया का त्यागी हो सकता है।'' (गुरमति मारतंड, भाग -२, पृष्ठ ७६६)

जिस कारण सभी मनुष्य तथा परमात्मा के मध्य अन्तर पैदा हो जाता है या जो कुछ भी परमात्मा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगता है, वो सब माया है। चाहे वो धन-पदार्थ के रूप में मनुष्य को प्रभु से दूर कर दे, चाहे विषयों के भोग के रूप में लिप्तता हो, चाहे भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र आदि के मोह के कारण उत्पन्न पारिवारिक रिश्तों का जंजाल हो, सब माया है। शारीरिक सुख के साधनों की अधिकता, जो परमात्मा को विस्मृत करने में सहायक होते हैं, वे भी माया के ही अन्तर्गत आते हैं। श्री गुरु अमरदास जी स्पष्ट करते हैं कि माया के प्रभाव के अधीन जीव दुख की निवृत्ति तथा सुख की लालसा में बंधा रहता है :

— एह माइआ जितु हरि विसरै मोहु उपजै
भाउ दूजा लाइआ ॥ (पन्ना ९२१)
— माइआ किस नो आखीऐ
किआ माइआ करम कमाइ ॥
दुखि सुखि एहु जीउ बधु है हउमै करम कमाइ ॥
(पन्ना ६७)

जिस मनुष्य के अन्दर माया का मोह है, उसका प्रभु के नाम के साथ प्रेम नहीं हो सकता। वह सदा छल-फरेब करता है तथा असत्य के मार्ग पर चल पड़ता है :

मनमुखि माइआ मोहु है नामि न लगै पिआरु ॥
कूड़ु कमावै कूड़ु संघरै कूड़ि करै आहारु ॥
बिखु माइआ धनु संचि मरहि
अंति होइ सभु छारु ॥ *(पन्ना १४२३)*

श्री गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं कि जो मनुष्य दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन अपने जीवन में उन उपदेशों को लागू नहीं करते, उनके सारे उपदेश भी माया का व्यापार हैं :

पंडित जोतकी सभि पड़ि पड़ि कूकदे
किसु पहि करहि पुकारा राम ॥
माइआ मोहु अंतरि मलु लागै
माइआ के वापारा राम ॥ *(पन्ना ५७०)*

ऐसे मनुष्य अहंकार में रहते हैं। सदा अपनी प्रशंसा की भूख उन्हें सताती रहती है। अहंकार की मैल तथा मान-सत्कार की भूख आत्मिक जीवन को मलिन कर देती है।

श्री गुरु अरजन देव जी के अनुसार प्रभु ने माया के रूप में एक ऐसी स्त्री पैदा की है, जो सदा क्रोध से भरी रहती है, अमधुर भाषी है तथा जिसने सारे संसार को अपने वश में किया हुआ है। माया-मोह से ग्रसित जीव कभी प्रसन्न तथा सुखी नहीं दिखाई देता।

**६२०, गली नं. १, छोटी लाईन, संतपुरा, यमुनानगर (हरियाणा)— १३५००१, फोन : ९८१२३-५८१८६*

उसके अंदर सदा शुभ गुणों का अभाव बना रहता है। उसकी तृष्णा, भूख कभी समाप्त नहीं होती :

— ऐसी सुंदरि मन कउ मोहै ॥
बाटि घाटि ग्रिहि बनि बनि जोहै ॥
मनि तनि लागै होइ कै मीठी ॥
गुर प्रसादि मै खोटी डीठी ॥ *(पन्ना ३९२)*
— माथै त्रिकुटी द्रिसटि करूरि ॥
बोलै कउड़ा जिहबा की फूड़ि ॥
सदा भूखी पिरु जानै दूरि ॥१ ॥
ऐसी इसत्री इक रामि उपाई ॥
उनि सभु जगु खाइआ हम गुरि राखे मेरे भाई ॥
(पन्ना ३९४)

परमात्मा द्वारा पैदा की हुई मोहिनी माया ने सारे त्रिगुणी जीवों को वश में किया हुआ है। इसका चक्कर बहुत भयानक है। धन का संचय, विषयों का भोग, सुख के साधनों का संग्रह, पुत्र-कलत्र, घर-परिवार का मोह इन सबके चक्रव्यूह में फंसा हुआ मनुष्य बाहर नहीं निकल सकता। बार-बार वहीं भटकता है, गिरता है, दुखी भी होता है, लेकिन वहीं रहता है। माया-लिप्त जीव के अन्दर ईर्ष्या, निंदा, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार बढ़ते हैं। मानों माया एक नागिन है तथा निंदा, ईर्ष्या आदि इस माया के अनेक फन हैं, जिनकी लपेट से आत्मिक जीवन को बचाना बहुत कठिन है। माया का मोह आत्मिक जीवन के लिए ज़हर है। जिसे यह मोह अपनी चपेट में लेता है, उसके अन्दर से मानवता निकल जाती है :

माइआ होई नागनी जगति रही लपटाइ ॥
इस की सेवा जो करे तिस ही कउ फिरि खाइ ॥
(पन्ना ५१०)

श्री गुरु अरजन देव जी ने माया को मक्खी के स्वभाव वाली कहा है :

माखी राम की तू माखी ॥
जह दुरगंध तहा तू बैसहि
महा बिखिआ मद चाखी ॥१ ॥रहाउ ॥
कितहि असथानि तू टिकनु न पावहि
इह बिधि देखी आखी ॥ *(पन्ना १२२७)*

जगत् का कोई भी जीव इस मोहिनी माया से बच नहीं सका । घर छोड़कर जाने वाले सन्यासी, योग-साधना करने वाले योगी, साधु, छः शास्त्रों के ज्ञाता, देव-पूजा करने वाले, व्रत आदि रखने वाले कोई भी इसके प्रभाव से अपने आप को बचा नहीं सके :

— होइ अउधूत बैठे लाइ तारी ॥
जोगी जती पंडित बीचारी ॥
ग्रिहि मड़ी मसाणी बन महि बसते
ऊठि तिना कै लागी पलीआ ॥ *(पन्ना १००४)*
— मोहनी मोहत रहै न होरी ॥
साधिक सिध सगल की पिआरी
तुटै न काहू तोरी ॥ *(पन्ना १२१६)*

मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी भी माया-ग्रसित देखे जाते हैं । जल में रहने वाली मछलियां, दीपक पर जलने वाले पतंगे भी माया के जाल में फंसे हुए हैं। कामवासना रूपी माया से हाथी ग्रसित है। भंवरा भी माया के कारण दुखी है। सिद्ध भी माया के प्रभावाधीन हैं। यति भी माया के गुलाम हैं। देवता आदि भी माया-लिप्त हैं। भक्त कबीर जी का कथन है :

— जल महि मीन माइआ के बेधे ॥
दीपक पतंग माइआ के छेदे ॥
काम माइआ कुंचर कउ बिआपै ॥

भुइअंगम भ्रिंग माइआ महि खापे ॥१ ॥
माइआ ऐसी मोहनी भाई ॥
जेते जीअ तेते डहकाई ॥ (पन्ना ११६०)
— सरपनी ते ऊपरि नही बलीआ ॥
जिनि ब्रहमा बिसनु महादेउ छलीआ ॥
(पन्ना ४८०)

माया ऐसी मोहिनी है कि मनुष्य के मन को तुरंत मोह लेती है। इसके सुख चाहे किसी भी रूप में हों, बहुत मधुर लगते हैं। यह धन के रूप में बहुत लुभावनी है। जैसे-जैसे इसके साथ प्रीति बढ़ती है, दुखदायी बन जाती है। तृष्णा के कारण लोभ बढ़ता है तथा मनुष्य मानसिक शान्ति खो बैठता है। यह कुटुंब में अनेक क्लेशों का कारण भी बनती है। भाई-मीत में झगड़ा करवा देती है। यह भोग-विलास, काम-वासना तथा शारीरिक सुखों के साधन के रूप में भी दुखदायी है। भाई-बंधु, पुत्र-कलत्र के मोह की माया तो मनुष्य को गुलाम बना देती है। मोह के कारण उत्पन्न चिंता के कारण शारीरिक तथा मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं। श्री गुरु अरजन देव जी विस्तार से समझाते हैं :

— इन्ह सिउ प्रीति करी घनेरी ॥
जउ मिलीऐ तउ वधै वधेरी ॥
गलि चमड़ी जउ छोडै नाही ॥
लागि छुटो सतिगुर की पाई ॥ (पन्ना ३९२)
— जिनि लाई प्रीति सोई फिरि खाइआ ॥
जिनि सुखि बैठाली तिसु भउ बहुतु दिखाइआ ॥
भाई मीत कुटंब देखि बिबादे ॥
हम आई वसगति गुर परसादे ॥ (पन्ना ३७०)
— मुखि मीठी खाई कउराइ ॥ (पन्ना १३४७)

माया का मोह छिपी हुई खतरनाक आग है, जो आत्मिक जीवन को समाप्त कर देती है। माया के मोह में सारा जीवन व्यर्थ बीत जाता है :

माइआ मोहि विसारिआ सचु मरणा हरि नामु ॥
धंधा करतिआ जनमु गइआ अंदरि दुखु सहामु ॥
नानक सतिगुरु सेवि सुखु पाइआ
जिन्ह पूरबि लिखिआ करामु ॥ (पन्ना १२४८)

माया का मोह दुर्मति की ओर ले जाता है। माया-मोह में लिप्त जीव इन्द्रियों को वश में करने का यत्न करता हुआ, पूजा करता हुआ भी माया से निर्लेप प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता। मन विकारों के कारण मलिन रहता है तथा सदा भटकता रहता है :

— माइआ मोहु सबलु है भारी
मोहु कालख दाग लगीजै ॥ (पन्ना १३२४)
— बाहरि भसम लेपन करे अंतरि गुबारी ॥
खिंथा झोली बहु भेख करे दुरमति अहंकारी ॥
साहिब सबदु न ऊचरै माइआ मोह पसारी ॥
अंतरि लालचु भरमु है भरमै गावारी ॥
नानक नामु न चेतई जूऐ बाजी हारी ॥
(पन्ना १२४३)

विकारों के प्रभावाधीन माया में लिप्त होकर, अपने मन के पीछे लग कर चलने वाला मनुष्य गुरु की शरण में आकर परमात्मा का सिमरन करता हुआ ही माया के मोह से मुक्त हो सकता है :

— कलिजुग महि घोर अंधारु है
मनमुख राहु न कोइ ॥
से वडभागी नानका जिन गुरमुखि परगटु होइ ॥
(पन्ना १२८५)
— माइआ मोहु बिखमु है भारी ॥
किउ तरीऐ दुतरु संसारी ॥
सतिगुरु बोहिथु देइ प्रभु साचा

जपि हरि हरि पारि लंघावै जीउ ॥ (पन्ना ९९८)

गुरमति के अनुसार जीवन बनाने से ही आत्मिक स्थिरता प्राप्त होती है, तृष्णा मिट जाती है, मन सन्तुष्ट रहने लगता है :

भूख पिआसा जगु भइआ
तिपति नही बिनु सतिगुर पाए ॥
सहजै सहजु मिलै सुखु पाईऐ दरगह पैधा जाए ॥
(पन्ना १३४५)

नाम-सिमरन करने से बुद्धि माया की तरफ से विपरीत हो जाती है, दुर्मति से सुमति में बदल जाती है:

— गुर परसादी जीवतु मरै
उलटी होवै मति बदलाहु ॥
नानक मैलु न लगई ना फिरि जोनी पाहु ॥
(पन्ना ६५१)

— माइआ अगनि जलै संसारे ॥
गुरमुखि निवारै सबदि वीचारे ॥
अंतरि सांति सदा सुखु पाइआ
गुरमती नामु लीजै हे ॥ (पन्ना १०४९)

गुरु की मति पर चलकर ही नाम-सिमरन किया जा सकता है। गुरु-शबद की कमाई से अहंकार दूर हो जाता है तथा मन पवित्र हो जाता है :

— नानक इसु मन की मलु इउ उतरै
हउमै सबदि जलाइ ॥ (पन्ना ६५०)

— तिन्ह की त्रिसना भूख सभ उतरी
जो गुरमति राम रसु खांति ॥ (पन्ना १२६४)

सत्संगति इसमें सहायक होती है। जो जीव माया का मोह त्याग कर सत्संग करता है, वह माया के मोह रूपी समुद्र से बाहर निकल जाता है :

जो मागै सो भूखा रहै ॥
इसु संगि राचै सु कछू न लहै ॥
इसहि तिआगि सतसंगति करै ॥
वडभागी नानक ओहु तरै ॥ (पन्ना ८९२)

सत्संग में रहकर नाम-सिमरन करने से प्रभु की रज़ा में प्रसन्न रहना आ जाता है, माया की तृष्णा मिट जाती है तथा प्रभु-प्रेम का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है :

नानक हुकमि मंनिऐ तिख
उतरै चड़ै चवगलि वंनु ॥ (पन्ना १२८२)

श्री गुरु रामदास जी के मत में परमात्मा का नाम आत्मिक जीवनदायक भोजन है। जो इस भोजन को खाते हैं, उनकी सारी भूख, सारी तृष्णा समाप्त हो जाती है :

हरि हरि अंम्रितु पी त्रिपतासे
सभ लाथी भूख भुखानी ॥ (पन्ना ६६७)

श्री गुरु अरजन देव जी का फरमान है :

त्रिसना बुझै हरि कै नामि ॥
महा संतोखु होवै गुर बचनी
प्रभ सिउ लागै पूरन धिआनु ॥ (पन्ना ६८२)

मन टिक जाता है, सारी भटकना समाप्त हो जाती है :

माई मै धनु पाइओ हरि नामु ॥
मनु मेरो धावन ते छूटिओ करि बैठो बिसरामु ॥
(पन्ना ११८६)

संक्षेप में कहा जा सकता है कि त्रिगुणी माया में लिप्त जीव का मन परमात्मा के साथ नहीं जुड़ता, सदा भटकता रहता है । माया के मोह में फंसे रहने से जीवन में बहुत दुख सहना पड़ता है। दुनिया का कोई सुख, कोई पदार्थ हृदय में बस रहे नाम की

बराबरी नहीं कर सकता। जिनके हृदय में प्रभु का नाम रूपी खजाना है, प्रभु उनके कार्य स्वयं ही पूर्ण कर देता है। उन्हें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता। परमात्मा सदा उनके अंग-संग रहता है :

— जिना अंदरि नामु निधानु हरि
तिन के काज दयि आदे रासि॥
तिन चूकी मुहताजी लोकन की
हरि प्रभु अंगु करि बैठा पासि॥ (पन्ना ३०५)
— बिनु हरि सिमरन सुखु नही पाइआ॥
आन रंग फीके सभ माइआ॥३॥
गुरि रंगे से भए निहाल॥
कहु नानक गुर भए है दइआल॥ (पन्ना १९४)

प्रभु का नाम माया के मोह रूपी अंधकार में प्रकाश के समान है :

राजु रूपु झूठा दिन चारि॥
नामु मिलै चानणु अंधिआरि॥ (पन्ना ७९६)

कविता

सिक्ख कौम

*-श्रीमती ज्योति**

रौंगटे मेरे खड़े हो गए,
जब सिक्ख इतिहास को मैंने पढ़ा
शहीदों की शहादत को जितना भी सिर झुकाऊँ,
कम पड़ जाएगा।
सोच कर मेरी रूह भी कांप जाती है
क्या-क्या सितम न ढाये सुलतान जालिमों ने!
हमारे सिक्ख भाई भी क्या कम थे?
सीना तान खड़े हो गए
उनके जब्र का जवाब सब्र से देने को।
फिर क्या था?
जीत तो सत्य की होनी थी
देश-धर्म की खातिर
सिर कटवा लिए हमारे सिक्ख वीरों ने
मगर झुका न सका कोई हमारे इन शूरवीरों को।
मिटाने वाले खुद ही मिटते चले गए
इतिहासों का इतिहास बनती रही
सदा हमारी सिक्ख कौम।
जब भी कोई बड़ी से बड़ी विपत्ति आई।
तो सबसे पहले आगे सिक्ख कौम आई।
बात चली जब देश को आज़ाद कराने की
अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने की
आज़ादी के महासंग्राम में
सदा अग्रणी रही हमारी सिक्ख कौम।
निर्भय और निडर होकर अपने कर्त्तव्य
निभाती रही हमारी सिक्ख कौम।
मौत को भी पछाड़ कर करोना-काल में
लोगों को जिंदगी देती रही हमारी सिक्ख कौम।
क्या लिखूं मैं अपनी सिक्ख कौम के बारे में?
शब्द भी कम पड़ जाते हैं।
ये तो आए दिन नया इतिहास रच जाते हैं।

*बी-२/११०, राज नगर, शिव मंदिर के पीछे, बस्ती बाबा खेल, जलंधर— १४४००२, फोन : ७५०८९-४१०४४

खबरनामा

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से शैक्षणिक अदारों के धार्मिक अध्यापकों का पाँच दिवसीय कैंप आयोजित

सुलतानपुर लोधी : २ जुलाई : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी द्वारा संचालित सिक्ख मिशनरी कॉलेजों, गुरमति अकादमियों और विद्यालयों के धार्मिक अध्यापकों का 'गुरमति शिक्षा और अध्यापन-दिशा' विषय के अंतर्गत पाँच दिवसीय कैंप श्री गुरु हरिक्रिशन सीनियर सेकंडरी पब्लिक स्कूल, सुलतानपुर लोधी में आयोजित किया गया। इस कैंप के दौरान विभिन्न सिक्ख विद्वानों ने धार्मिक अध्यापकों के साथ गुरमति शिक्षा और अध्यापन-क्षेत्र के सम्बंध में विचार प्रकट किये। कैंप की समाप्ति के समय आयोजित समागम में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंघ धामी, ऑल इंडिया धर्म प्रचार विंग के प्रमुख भाई रजिंदर सिंघ महिता, स. सुखवरश सिंघ पन्नू सदस्य, धर्म प्रचार कमेटी, इंजीनियर स. सवरन सिंघ, सचिव स. बलविंदर सिंघ काहलवां विशेष तौर पर उपस्थित हुए।

समागम में संबोधित करते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंघ धामी ने कहा कि विद्यार्थियों को धर्म की शिक्षा देनी महान कार्य है और इस क्षेत्र के अध्यापकों की ज़िम्मेदारी आम अध्यापकों से अहम है। प्रचारक, रागी, ढाडी सिक्ख कौम की सेवा के लिए तैयार करना बड़ा कौमी कर्त्तव्य है। इस ज़िम्मेदारी को और दृढ़ता के साथ निभाने के लिए समय की प्राथमिकताएं और मौजूदा कौमी मसलों के प्रति सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए ऐसे रिफ्रेशर कोर्स व कैंप महत्वपूर्ण साबित होते हैं। यदि सिक्खी प्रचार के लिए कार्यशील प्रत्येक संस्था कौमी मसलों पर एक राय बना कर चलेगी तो शिक्षा प्राप्त करने वाली प्रचारक श्रेणी कौमी चुनौतियों का मुकाबला एकजुट होकर कर सकेगी। एडवोकेट धामी ने कहा कि ऐसे गुरमति रिफ्रेशर कैंप प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि कौमी चुनौतियों के लिए भविष्य-काल की योजनाएं मिल-बैठ कर तैयार की जा सकें।

इस अवसर पर भाई रजिंदर सिंघ महिता, स. सुखवरश सिंघ पन्नू, स. बलविंदर सिंघ काहलवां और इंजीनियर स. सवरन सिंघ ने भी संबोधित किया। उप सचिव प्रो. सुखदेव सिंघ, गुरुद्वारा बेर साहिब के मैनेजर स. जरनैल सिंघ, मुख्य ग्रंथी भाई सतनाम सिंघ, प्रिंसिपल बीबी मनजीत कौर, प्रिं. राजपाल सिंघ, प्रिं. रविंदर सिंघ खालसा, कैंप के को-आर्डिनेटर प्रिं. जसवंत सिंघ, भाई सुखपाल सिंघ प्रचारक, इंचार्ज स. करतार सिंघ,

स. निरंजन सिंघ, स. भुपिंदर सिंघ, स. शमशेर सिंघ और मिशनरी कॉलेजों व विद्यालयों के प्रिंसिपल, इंचार्ज, प्रोफेसर साहिबान भी उपस्थित थे।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बाढ़-पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई

श्री अमृतसर साहिब : १० जुलाई : पंजाब के बाढ़-प्रभावित क्षेत्र में बाढ़-पीड़ितों की मदद के लिए सिक्ख कौम की प्रतिनिधि संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आगे आई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से बाढ़-पीड़ितों के लिए रिहायश, लंगर तथा अन्य ज़रूरी वस्तुएँ मुहैया करवाने के लिए प्रबंध किये गए हैं। विभिन्न ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबान की सराय में बाढ़-प्रभावित क्षेत्र के लोगों को नि:शुल्क कमरे मुहैया करवाने के साथ-साथ प्रभावित इलाकों में लंगर तथा अन्य वस्तुओं की व्यवस्था की जा रही है।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंघ धामी ने कहा कि मानवता के साथ मुश्किल समय में खड़े होना शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की रिवायत रही है और गुरु-दर्शाये मार्ग पर चलते हुए सिक्ख संस्था प्रत्येक प्राकृतिक आपदा के समय जनसाधारण के लिए मददगार बनी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में भी बाढ़-प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राहत-सेवा प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबान के प्रबंधकों से कहा गया है। विभिन्न जिलों में २५ से अधिक गुरुद्वारा साहिबान के भीतर सहायता-केंद्र स्थापित किये गए हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध वाले प्रत्येक गुरुद्वारा साहिब की सराय में बाढ़-पीड़ितों को नि:शुल्क कमरे देने का फ़ैसला किया गया है। इसके साथ ही बाढ़-प्रभावित इलाकों में गुरुद्वारा साहिबान से लंगर का प्रबंध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्री अनंदपुर साहिब के साथ सम्बन्धित गुरुद्वारा साहिबान से राहत-कार्य शुरू कर दिए गए है और बाकी गुरु-घरों से भी सेवाएं आरंभ कर दी गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ज़रूरत पड़ी तो मेडिकल सेवाएं भी दी जाएंगी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने संगत से अपील की कि वह ज़रूरतमंदों को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से दी जा रही सेवाओं के प्रति जागरूक करे, ताकि पीड़ित लोग इन सेवाओं का लाभ ले सकें। एडवोकेट धामी ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस मुश्किल घड़ी में मानवता के साथ है और अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटेगी।

गुरमति प्रकाश

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी, श्री अमृतसर साहिब से प्रकाशित पत्रिका 'गुरमति प्रकाश' (मासिक पंजाबी) में उच्च कोटि के विद्वानों, इतिहासकारों तथा शोधार्थियों की निरोल धार्मिक व गुरमति से संबंधित रचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। यह पत्रिका जहां सिक्ख साहित्य, सिक्ख धर्म, सिक्ख इतिहास की अनमोल जानकारी का भंडार है, वहीं यह गुरमति सिद्धांतों का शुद्ध खालसयी विवेचन कर गुरमति-पथ पर अग्रसर होने के लिए सफल प्रेरणा भी प्रदान करती है। आजकल यह पत्रिका ७० हज़ार से अधिक संख्या में प्रकाशित की जा रही है। हम चाहते हैं कि आप स्वयं भी पत्रिका के सदस्य बनिए तथा अपने सज्जनों-मित्रों व स्नेहियों को भी प्रेरित करें कि वे भी इस पत्रिका की सदस्यता ग्रहण कर इसके पाठक बनें! यह पत्रिका प्रत्येक घर-परिवार का शृंगार बननी चाहिए, ताकि गुरमति का प्रचार-प्रसार विशाल स्तर पर हो सके। इस मंतव्य हेतु इस पत्रिका का सदस्यता शुल्क (चंदा) लागत कीमत से भी बहुत कम रखा गया है। सदस्यता शुल्क एवं अपना नाम-पता 'सचिव, धर्म प्रचार कमेटी (शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी), श्री अमृतसर साहिब' के पते पर भेजने की कृपा करें।

सदस्यता शुल्क

वार्षिक—देश	— ५० रुपए	विदेश — १२५० रुपए
पांच वर्षीय—देश	— २५० रुपए	विदेश — ५००० रुपए
आजीवन—देश	— ५०० रुपए	विदेश — १०,००० रुपए

Registered with RNI at No. PUNHIN/2007/21665

Postal Registration No. L-1/PB-ASR/008/2023-25 Licensed to Post without Pre-Payment No. PB/R-001/2023-25

GURMAT GYAN August 2023

DHARAM PARCHAR COMMITTEE,

Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, Sri Amritsar Sahib (PUNJAB)

गुरुद्वारा गुरु का बाग के मोर्चे में अंग्रेज पुलिस द्वारा सिक्खों पर किए जा रहे जुल्म की तस्वीर

Owner : Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee. Publisher & Printer : S. Manjit Singh. Printed at Golden Offset Press, Gurdwara Sri Ramsar Sahib, Sri Amritsar Sahib. Published from SGPC office, Teja Singh Samundri Hall, Sri Amritsar Sahib. Editor : Satwinder Singh

Date : 7-8-2023